लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २५, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXV, 1964/1885 (Saka)

[१० से २१ फरवरी, १९६४/२१ माघ से २ फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[February 10 to 21, 1964/Magha 21 to Phalguna 2, 1885 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 27-5-92
Parliament Library

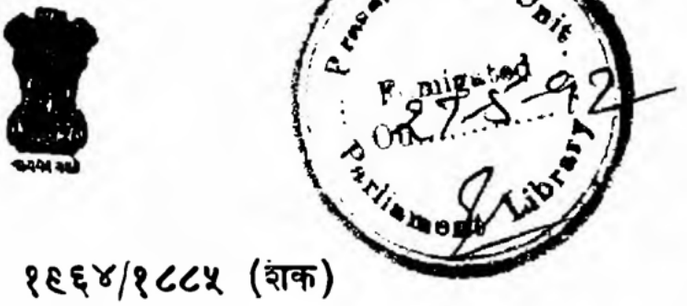

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

(Vol. XXV contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक ६, गुरुवार, २० फरवरी, १९६४ / १ फाल्गुन १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित *प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०५	परियोजनाओं का चौथी योजना में ले जाया जाना	६३७—४०
२०६	औद्योगिक वित्त निगम	६४०—४१
२०७	राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन	६४१—४३
२०८	नागालैंड का विकास	६४४—४५
२०९	दिल्ली में जल संभरण	६४५—४६
२११	परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान	६४७—४८
२१२	नीवेली परियोजना	६४८—४९
२१३	परियोजना निर्माण लागत सम्बन्धी समिति	६४९—५१
२१४	दामोदर घाटी निगम	६५१—५५
२१५	भूमि सुधार सम्बन्धी समिति	६५५—५९
२१६	नेपाल को विद्युत् सम्भरण	६५९—६०
२१७	बाजार में बिना खाते का धन	६६०—६१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१	गेहूं और आटे का अभाव	६६१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
२१०	दिल्ली में आवास योजनाओं के लिये आवंटन में कटौती	६६६—६७
२१८	आवास निधि का व्यपवर्तन	६६७
२१९	पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी का संभरण	६६७
२२०	राज्य वित्तीय निगम	६६७—६८
२२१	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	६६८
२२२	तकनीकी जनशक्ति संसाधन	६६८—६९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 9, Thursday, February 20, 1964/Phalguna 1, 1885 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
205	Postponement of Third Plan Projects	637—40
206	Industrial Finance Corporation	640—41
207	Conference of State Ministers of Irrigation and Power	641—43
208	Development of Nagaland	644—45
209	Water Supply in Delhi	645—46
211	Family Planning Accessories	647—48
212	Neyveli Project	648—49
213	Committee on Cost of Construction of Projects	649—51
214	D.V.C.	651—55
215	Land Reforms Committee	655—59
216	Supply of Electricity to Nepal	659—60
217	Unaccounted Money in Market	660—61
Short Notice Question No.		
1	Scarcity of wheat and floor	661—66

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Questions Nos.		
210	Cut in Housing Allocation for Delhi	666—67
218	Diversion of Housing Funds	667
219	Drinking Water Supply in Hilly Areas of Punjab	667
220	State Financial Corporation	667—68
221	Sea Erosion in Kerala	668
222	Technical Man-power Resources	668—69

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
२२३	पीने के पानी का संभरण .	६६९
२२४	राज्य योजना बोर्ड . . .	६६९
२२५	विदेशी मुद्रा की रक्षित राशि . .	६६९—७०
२२६	भारत में अमरीकियों द्वारा पूंजी लगाया जाना	६७०
२२७	दिल्ली में अनधिकारवासी . .	६७०—७१
२२८	मंहगाई भत्ता	६७१
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
३९९	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि . .	६७१—७२
४००	बिहार में सिंचाई योजनायें . . .	६७२
४०१	मद्रास में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . .	६७२
४०२	विदेशी सरकारों के पास भारतीय मुद्रा . .	६७२—७३
४०३	कलकत्ता की स्टॉक एक्सचेंज	६७३
५०४	समुद्र द्वारा भूमि का कटाव . .	६७३
४०५	पश्चिमी कोसी नहर . . .	६७३—७४
४०६	एथियोनामाइड औषधि	६७४
४०७	पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञ दल की यात्रा . . .	६७४—७५
४०८	नासिक सिक्योरिटी प्रेस	६७५
४०९	पूर्व-निर्मित गृह निर्माण कारखाना . . .	६७५—७६
४१०	जीवन बीमा निगम का कारोबार . . .	६७६
४११	रेलवे की जमीन पर झुग्गियां तथा झोंपड़ियां .	६७६—७७
४१२	गुड़ की मंडी, दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति . .	६७७
४१३	व्यावसायिक तथा भौतिक चिकित्सक .	६७७
४१४	दिल्ली में बिजली का अन्त्येष्टि यंत्र . . .	६७७—७८
४१५	फाइलेरियालिज़ के लिये अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था	६७८
४१६	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	६७८
४१७	ग्रामदान	६७९
४१८	केरल में परिवार नियोजन	६७९—८०
४१९	कोठागुडम तापीय विद्युत् संयंत्र	६८०

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd*

Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
223	Drinking Water Supply	669
224	State Planning Boards	669
225	Foreign Exchange Reserve	669–70
226	American Investment in India	670
227	Squatters in Delhi.	670—71
228	Dearness Allowance	671

Unstarred Questions Nos.		
399	Relaxation in Foreign Exchange Facilities	671—72
400	Irrigation Schemes in Bihar	672
401	Staff Quarters in Madras	672
402	Indian Currency with Foreign Governments	672—73
403	Calcutta Stock Exchange	673
404	Sea Erosion	673
405	Western Kosi Canal	673—74
406	Ethionamide Drug	674
407	Visit of West German Team of Experts	674—75
408	Nasik Security Press	675
409	Pre-Fab. Housing Factory	675—76
410	L. I. C. Business	676
411	Jhuggis and Jhompris on Railway Land.	676—77
412	D. Ps. in Gurki Mandi, Delhi	677
413	Occupational Physio Therapists	677
414	Electric Crematorium in Delhi	677—78
415	Research-*cum*-Training Institute for Filariasis	678
416	All India Institute of Medical Sciences	678
417	Gramdan	679
418	Family Planning in Kerala	679—80
419	Kothagudam Thermal Plant	680

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
४२०	पोंग बांध	६८०—८१
४२१	व्यास तथा सतलज व्यास सम्पर्क बांध	६८१
४२२	डाक व तार कर्मचारियों के लिये प्रतिकरात्मक भत्ता	६८१
४२३	भारत में दन्त चिकित्सा	६८१—८२
४२४	दिल्ली में सोने के तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	६८२
४२५	कानपुर में आयकर की बकाया राशि	६८२
४२६	व्यास बांध	६८२—८३
४२७	लेखापरीक्षा तथा लेखा पालन विभागों के कर्मचारी	६८३
४२८	परिवार नियोजन के लिये गर्भनिरोधक सामग्री	६८३—८४
४२९	चिटफन्ड नियम	६८४
४३०	विद्युत् करघा उद्योग	६८४—८५
४३१	दण्डकारण्य में बसे शरणार्थी	६८५
४३२	दन्त चिकित्सा कालिज	६८५
४३३	पोंग बांध तथा सतलज व्यास सम्पर्क	६८५—८६
४३४	नौवहन समवायों के धन वापिस लेने सम्बन्धी दावे	६८६
४३५	कृषि के लिये निधियां	६८६—८७
४३६	प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्र	६८७
४३७	'शरवती' योजना से प्राप्त विद्युत	६८७—८८
४३८	मैसूर में बकाया कर	६८८
४३९	मैसूर में करों का निर्धारण	६८८—८९
४४०	मद्रास राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	६८९
४४१	कई मजिलों वाले कार्यालय भवन	६८९
४४२	नई टकसाल	६८९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		
	अफ्रीका के नये स्वतंत्र देशों से स्वदेश वापिस आने वाले भारतीय	६९०
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	६९०
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	६९०—९१
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	६९१—९३
	प्राक्कलन समिति—	
	चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन	६९३

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
420	Pong Dam	680—81
421	Beas and Sutlej Beas Link Dams	681
422	Compensatory Allowance for P. &. T. Employees	681
423	Dentistry in India	681—82
424	Arrest of Gold Smugglers in Delhi	682
425	Income Tax Arrears at Kanpur	682
426	Beas Dam	682—83
427	Employees of Audit and Accounts Department	683
428	Contraceptives for Family Planning	683—84
429	Chit Fund Rules	684
430	Powerloom Industry	684—85
431	Refugees settled in Dandakarnya	685
432	Dental Colleges.	685
433	Pong Dam and Sutlej Beas Link	685—86
434	Refund Claims of Shipping Companies.	686
435	Funds for Agriculture	686—87
436	Primary Health Centres	687
437	Sharavati Power	687—88
438	Tax Arrears in Mysore	688
439	Assessment of Taxes in Mysore.	688—89
440	Primary Health Centres in Madras State	689
441	Multi-storeyed Office Buildings	689
442	New Mint.	689

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance —

Indian repatriates from newly independent countries of Africa.	690
Re : Motion for Adjournment	690—91
Papers laid on the Table	691—93

Estimates Committee—

Forty-fourth and Forty-fifth Reports	693

विषय	पृष्ठ
समिति के लिये निर्वाचन	६६३—६४
राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उपराष्ट्रपति के अभिभाषण	
प्रस्ताव का उत्तर दिये जाने के बारे में	६६४—६५
रेलवे आय-व्ययक, १९६४-६५—सामान्य चर्चा	६६५—७०८,७१२
श्री नम्बियार	६६५—६८
श्री कपूर सिंह	६६८—७००
श्री हनुमन्तैया	७००—०१
श्री भागवत झा आजाद	७०१—०२
श्री राम सहाय पाण्डेय	७०२—०३
श्री उ० मु० त्रिवेदी	७०४—०६
श्री गौरी शंकर कक्कड़	७०६—०७
श्री अ० प्र० शर्मा	७०७—०८
श्री पीटर अल्वारेस	७१२
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—	
शिलोंग में कर्फ्यू लगाये जाने तथा सेना बलाये जाने की कथित घटना	७०८—११
राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहक उपराष्ट्रपति का सन्देश	७११
भारतीय वायु सेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में	७११

Subject	PAGE
Election to Committee	693—94
Re : Reply to Motion of Thanks on Address by Vice-President discharging the functions of President. . . .	694—95
Railway Budget—General discussion . .	695—708,712
Shri Nambiar	695—98
Shri Kapur Singh	698—700
Shri Hanumanthaiya	700—01
Shri Bhagwat Jha Azad	701—02
Shri R. S. Pandey	702—03
Shri U. M. Trivedi	704—06
Shri Gauri Shankar Kakkar	706—07
Shri A. P. Sharma	707—08
Shri Alvares	712
Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices—	
Alleged requisitioning of troops and curfew in Shillong. .	708—11
Message from Vice-President discharging the functions of President	711
Re: missing I. A. F. aircraft	711

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, २० फरवरी १९६४/१ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Thursday, February 20, 1964/Phalguna 1, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

परियोजनाओं का चौथी योजना में ले जाया जाना

\+

*२०५. श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री दाजी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री सबोध हंसदा :
श्री सेझियान :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री बसुमतारी :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना से चौथी योजना में ले जानी पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें कौनसी हैं ; और

(ग) इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री बे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) योजना आयोग ने कोई परियोजना स्थगित नहीं की है परन्तु ऐसा हो सकता है कि कुछ परियोजनाओं को तृतीय योजना काल में प्रारम्भ न किया जा सके ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है ।

विवरण

जो योजनायें अधिक से अधिक प्रारम्भिक प्रक्रमों में होंगी और जिन्हें अधिकतर चौथी योजना में ले जाया जायेगा वे यह हैं:—कार्बनिक मध्यवर्ती पदार्थ सन्यन्त्र [ऑर्गेनिक इण्टरमीडियेट प्लान्ट] (पानवेल), पायप रसायन सन्यन्त्र [फाइटो केमिकल प्लान्ट] (केरल), मूल ऊष्मसह पदार्थ परियोजना [बेसिक रिफ्रेक्टरी प्रोजैक्ट] (भिलाई), भारी ढांचों का कारखाना और भारी प्लेट तथा जहाज कारखाना [हैवी स्ट्रक्चुरल वर्क्स एण्ड हैवी प्लेट एण्ड हैवी वैसल्ज़ वर्क्स] (वरधा), सूक्ष्ममापक यन्त्र परियोजना [प्रेसीज़न इन्स्ट्रूमेंट प्रोजैक्ट] (केरल), गोली और बेलन धारूक परियोजना [बाल एण्ड रॉलर बेयरिंग प्रोजैक्ट], भारी संपीडक तथा पम्प परियोजनायें [हैवी कम्प्रैशर एण्डा पम्प प्रोजैक्ट्स] और नौ डीज़ल इंजन कारखाना [मैरीन डीज़ल इंजन फैक्टरी]। दूसरा भारी ढांचा कारखाना [सैकण्ड हैवी स्ट्रक्चुरल वर्क्स] और दूसरा भारी प्लेट तथा जहाज कारखाना [सैकण्ड हैवी प्लेट एण्ड हैवी वैसल्ज़ वर्क्स] के सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किया गया है।

(ग) कारण यह है कि प्रारम्भिक कार्यवाही में पूर्वाशित समय से अधिक समय लगा है।

श्री वारियर : ऐसा क्यों हैं कि जो परियोजनायें आगे ले जाई गई हैं उनमें से अधिक संख्या केरल की परियोजनाओं की है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : सूची में उन कारखानों के भी नाम हैं जो कि पानवेल, भिलाई, वरधा तथा अन्य स्थानों में हैं, केवल दो ही केरल में हैं।

श्री वारियर : उनके कार्यारम्भ को चौथी योजना में स्थगित किये जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं? स्वयं तृतीय योजना में ही इनको प्रारम्भ करने के मार्ग में सरकार के सामने क्या बाधायें आ रही हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कोई परियोजना जान बूझ कर चौथे योजनाकाल के लिये स्थगित नहीं की गई है। परन्तु कुछ मामलों में उत्पादन के चतुर्थ योजना में प्रारम्भ होने की आशा है क्योंकि वे तीसरे योजनाकाल में ही पूरी नहीं की जा सकतीं। अन्य कुछ मामलों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि उनके प्रविधिक तथा वित्तीय पहलू अभी तक भी विचाराधीन हैं। इन दो प्रवर्गों की परियोजनाओं के विषय में तृतीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन में बातें बताई गई हैं।

श्री दाजी : मध्यवर्ती मूल्यांकन के पश्चात् यह बात जानी गई है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर लागत अनुमानित लागत से अधिक आ रही है। या तो सम्पूर्ण योजना ही को घटाने और पूर्ववर्तिताओं को पुनः निर्धारित करने अथवा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की खोज करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि योजना में दी गई सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके ? सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसमें कई पहलुओं की बातें समाहित हैं। सहयोग की शर्तों का सर्वदा ही अध्ययन किया जाता है और उनके तैयार होने पर सरकार उन पर विचार करती है।

श्री दाजी : मेरे प्रश्न को, जो कि स्पष्ट है, या तो समझा नहीं गया है अथवा उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मध्यवर्ती मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कुछ योजनायें अधूरी हैं और उनके लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। क्या सरकार ने जितना धन देने का वचन दिया था उसको बढ़ाने और योजना में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय किया है अथवा हम पूर्ववर्तिताओं में परिवर्तन करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० न०कृष्णमाचारी) : वास्तविक स्थिति यह है कि आन्तरिक संसाधनों अथवा धन की कमी के कारण हमने कभी भी किसी भी परियोजना को स्थगित नहीं किया है। यदि विदेशी धन न पाने का प्रश्न है तो जब और जैसे भी हमें विदेशी वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है हम उसे लेने का प्रयत्न करते हैं। अथवा अन्य कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे कि हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स के मामले में परियोजना के स्वरूप के विषय में सहयोग कर्ताओं के साथ कुछ प्रकार का विवाद रहा है। सिवाय उन परिस्थितियों के जो कि हमारे नियन्त्रण से बाहर थीं कभी भी किसी परियोजना को स्थगित नहीं किया गया और निश्चय ही यह इस कारण तो नहीं किया गया कि सरकार उनके लिये देश में धन की व्यवस्था नहीं कर सकी।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या यह विलम्ब इस कारण है कि विदेशी सहयोग समय पर नहीं मिल पा रहा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रश्न विदेशी सहयोग के समय पर न मिलने का नहीं है। शर्तों की जांच करनी पड़ती है। बहुत से मामलों में हमें और ब्यौरों की आवश्यकता होती है। उनका निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : Has Government prepared an estimate in consultation with the State Govts. as to how many projects would be left over and on what criteria priority would be given to them in the Fourth Plan.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : We are going into it. The Fourth Plan is being prepared. Working groups are being formulated and examination is afoot.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या ये परियोजनायें उनकी विदेशी मुद्रा के रूप में आवश्यकताओं और देश में तथा बाहर उपलब्ध प्रविधिक जानकारी की जाने बिना ही तैयार कर ली जाती हैं और यदि हां, तो किस प्रकार और किस रूप में हमें यह आश्वासन दिया जा सकता है कि ऐसी परियोजनाओं का फल हमें योजना काल के अन्दर ही मिल सकेगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रादेशिक असमानताओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है और प्रत्येक बात पर विचार किया जा रहा है। उन बातों का निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है। सहयोग सम्बन्धी ब्यौरे उन बातों में से एक हैं।

Shri Vishram Prasad: In the Social welfare Department.....

श्री दाजी : प्रश्न यह पूछा था कि क्या भावी आवश्यकताओं पर विचार किये बिना ही योजना तैयार की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है कि भावी आवश्यकताओं पर विचार किये बिना ही वह तैयार की गई थी ?

श्री दाजी : माननीय मन्त्री ने बताया है कि जहां हमारे सामने विदेशी मुद्रा की कठिनाई आती है तो हमें परियोजना को छोड़ देना पड़ता है। इसलिये यह प्रश्न उचित ही है कि क्या विदेशी मुद्रा की गारण्टी लिये बिना ही योजना तैयार की गई थी; परन्तु उत्तर एकदम भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह आशा करते हैं कि उत्तर यह होगा कि इनका अनुमान लगाये बगैर ही योजना तैयार की गई थी ?

श्री दाजी : जब वित्त मन्त्री ऐसा कहते हैं तो फिर ऐसी ही बात मालूम पड़ती है।

Shri Vishram Prasad: In the Social welfare Department there is a huge stock of 'dholaks' and 'majiras' and the public has had no special benefit from this Department. Has there been a reduction in its budget or is it continuing in the same old way ?

Mr. Speaker : We cannot discuss each project like this.

श्री रामनाथन चेट्टियार : हमारी विदेशी सहायता विशेषरूप से अमरीका से मिलने वाली विदेशी सहायता में कटौती होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी परियोजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो कि अमरीकी सहायता पर निर्भर हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । ऐसी बात नहीं है कि कोई परियोजना किसी देश के साथ इस प्रकार से बंधी हो ।

श्रीमती सावित्री निगम : दुसरे भारी ढांचा कारखाने [सैकण्ड हैवी स्ट्रक्चुरल वर्क्स] और दूसरे भारी प्लेट तथा जहाज कारखाने [हैवी प्लेट एण्ड वैसल वर्क्स] की परियोजनाओं के निकाले जाने के स्पष्ट कारण क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे एक प्रश्न की मैंने पहले ही अनुमति नहीं दी है। इस समय मैं किसी विशेष परियोजना की बात को नहीं ले सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह विवरण में उल्लिखित है। क्या यह चौथी योजना में आरम्भ हो जायेगी अथवा नहीं और इसे निकालने के क्या कारण हैं क्योंकि इन प्लेटों की तो बहुत आवश्यकता होती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्रत्येक मामले में अनेक जानकारी लेनी पड़ती हैं, विदेशी सहयोग की शर्तों की जांच करनी पड़ती है—बहुत सी बातें होती हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम

\+
*२०६. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम को अमरीकी सहायता रुपया निधियों में से पर्याप्त राशि देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली राशि कितनी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). निगम के संसाधनों को बढ़ाने के अनेक साधनों में से एक साधन के रूप में, सरकार ने दूसरी योजना की अवधि के दौरान इसको १० करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया और जब निगम ने पूरा का पूरा ऋण ले लिया तो उसके पश्चात उसकी प्रतिपूर्ति पी० एल० ४८० निधियों में से कर ली। अब सरकार ने तीसरी योजना को शेष अवधि के दौरान निगम को और १० करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय किया है । इस ऋण की प्रतिपूर्ति भी उन्हीं निधियों से की जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा प्रश्न तो बहुत विशिष्ट था और उत्तर आम दिया है अर्थात् यह कि सरकार गत समय में भी ऋण देती रही और अब भी दे रही है । मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या औद्योगिक वित्त निगम को अमरीकी सहायता रुपया निधियों में से कोई राशि दी गई है । यह आम उत्तर क्यों दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : उत्तर बहुत ही विशिष्ट है । मैंने बताया है कि १० करोड़ रुपये दूसरी योजना में दिये गये थे और १० करोड़ रुपये तीसरी योजना में दिये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अमरीकी सहायता रुपया निधियों में से हैं ?

श्री ब० रा० भगत : व्यवस्था यह है कि भारत सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है और बाद में पी० एल० ४८० निधियों द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार को की जाती है । यह उत्तर है और यह बहुत ही स्पष्ट है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या निगम को इस ऋण को देते समय भारत सरकार द्वारा किसी विशेष प्रकार के उपयोग के सम्बन्ध में इसके साथ कोई शत रखी गई थी अथवा अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिये कहा था ?

श्री ब० रा० भगत : कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं ।

श्री दाजी : पहले दिये गये १० करोड़ रुपये के ऋण की और वर्तमान ऋण की ब्याज की दरों और ऋण को चुकाने से सम्बन्धित शर्तें क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : ब्याज की दरें ४ और ५ प्रतिशत के बीच हैं और यह ७३ मासिक किश्तों में चुकाया जाना है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या औद्योगिक वित्त निगम को ऋणों के लिये स्वयं अपनी ओर से विश्व बैंक और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ और बातचीत करने का अधिकार है अथवा सरकार निगम को धन देती है ? क्या इसके लिए केवल सरकार ही बातचीत करती है अथवा औद्योगिक वित्त निगम सीधे ही बातचीत करता है ?

श्री ब०रा० भगत : दोनों ही । वे सीधे भी बातचीत करते हैं, परन्तु ऐसे सभी ऋणों के लिये सरकार गारण्टी देती है ।

राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन

\+

*२०७. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री जेधे :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री विभति मिश्र :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६४ के प्रथम सप्ताह में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी, क्या विचार व्यक्त किये गये तथा क्या निर्णय किये गये थे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । दखिय संख्या एल० टी०—२३५०/६४ ।]**

Shri Vishram Praaad : Was there any discussion in the meeting held in connection with irrigation about the excessive charges for water supplied from the tubewells for irrigation purposes in eastern U. P. ?

डा० कु० ल० राव : उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री भी उपस्थित थे और अनेक विषयों पर सामान्य चर्चा हुई थी जिसका मैंने विवरण में उल्लेख किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया गया था ।

Shri Vishram Prasad : Was there any discussion about inadequate irrigation by canals and tubewells these days ?

डा० कु० ल० राव : नलकूपों के सम्बन्ध में विशेषरूप से कोई चर्चा नहीं हुई थी परन्तु माननीय सदस्य को जो कुछ कहना है उसे वह यदि मुझे बता द तो मैं उस मामले की जांच करूंगा ।

श्री लहरी सिंह : क्या गहरे नलकूपों को खोदने के बारे में वहां चर्चा की गई थी क्योंकि समस्त देश में ही गहरे नलकूपों के खोदे जाने की आवश्यकता है ?

डा० कु० ल० राव : इस विषय पर विशेषरूप से चर्चा नहीं की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : जो चर्चा हुई थी क्या उसका कोई अभिलेख रखा गया है ?

डा० कु० ल० राव : चर्चा का अभिलेख रखा गया है। जो चर्चा हुई थी उसका पूरा संक्षेप मैंने दिया है ।

श्री पें० वक्टासुब्बया : क्या इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोई विशेष प्रार्थना की गई थी कि नागार्जुनसागर परियोजना को सरकार अपने हाथों में ले ले क्योंकि राज्य सरकार का बहुत भारी वित्तीय उत्तरदायित्व है ?

डा० कु० ल० राव : इस प्रकार की प्रार्थना पर कि लघु सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा सहायता दी जाये बहुत से राज्यों ने जोर डाला था जिसमें आंध्र प्रदेश भी सम्मिलित है ।

श्री हरिविष्णु कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह कहा गया है : सम्मेलन का यह मत था कि देश के लोगों के हित के लिये राज्यों की बड़ी परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा अपने हाथों में लिये जाने की आवश्यकता के बारे में नीति सम्बन्धी एक निर्णय लिया जाना चाहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की तावा बहु-प्रयोजनीय योजना में कुछ समय से कार्य नहीं हो रहा है और क्या उसे पुनरुज्जीवित करने के लिये और उसमें कुछ जान और शक्ति डालने के लिये उस परियोजना को अपने हाथों में लेने का कोई निर्णय किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है वह सच है । तावा परियोजना हमारी उपयोगी और अच्छी परियोजनाओं में से एक है और निष्पादन के लिये बहुत समय से पड़ी है । यथासम्भव शीघ्र कार्य निष्पादन करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Sheo Narain : Is it a fact small irrigation scheme has also been discussed in this conference and Government has made some provisions fpr it?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय एक ऐसा विवरण सभा पटल पर नहीं रख सकते अथवा किसी ऐसे दस्तावेज़ का उल्लेख नहीं कर सकते जिससे कि सदस्य यह जान सकें कि किन किन बातों पर चर्चा की गई थी और क्या क्या निर्णय लिये गये थे ?

डा० कु० ल० राव : मैंने विवरण सभा-पटल पर रख दिया है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। वास्तव में विवरण कुछ लम्बा है। यदि और जानकारी के बारे में माननीय सदस्यों के कोई विशेष प्रश्न हैं तो मैं उन्हें वह बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ विवरण में दिया हुआ है उसके दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिये माननीय मंत्री ने ठोस प्रयत्न किये हैं और क्या जिस ग्रिड पद्धति को अन्तिम रूप देने का उनका इरादा है उसमें कई महीने लगेंगे अथवा यह कार्य बहुत ही शीघ्र हो जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में बिजली की कमी के सम्बन्ध में जिन कार्यवाहियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी यह उनमें से एक है। यथासम्भव शीघ्र ग्रिड प्रणाली को स्थापित करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें लगभग दो वर्ष लगेंगे।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या बारक परियोजना के कार्य को हाथ में लेने के सम्बन्ध में भी कोई चर्चा की गई थी ?

डा० कु० ल० राव : यह मूल प्रश्न उस सम्मेलन का उल्लेख करता है जो कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में हुआ था। परन्तु बारक परियोजना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक से सम्बन्ध रखती है जो कि बाद में जनवरी के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में हुई थी। यही कारण है कि इस पर विचार नहीं किया गया।

श्री बड़े : क्या इस सम्मेलन में नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में कोई चर्चा की गई थी ? समाचारपत्रों में ऐसे समाचार आये हैं कि इस परियोजना में कोई कार्य नहीं हो रहा है।

डा० कु० ल० राव : नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में विशेषरूप से कोई चर्चा नहीं की गई थी। परन्तु परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आम चर्चा की गई थी और नर्मदा नदी परियोजना को प्रगतिहीन नहीं रहने दिया जा सकता क्योंकि यह नदी हमारी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इस नदी सम्बन्धी विकास कार्य को शीघ्र ही करना बहुत आवश्यक है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माही नदी की काडना परियोजना पर लाखों रुपये व्यय किये जा चुके हैं और जो कालोनी वहां पर है उस पर यह व्यर्थ ही जा रहे हैं क्या इस परियोजना के कार्य को आगे चलाने के लिये पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई चर्चा की गई थी अथवा क्या इस परियोजना को हमेशा के लिये ही ताक पर उठा कर रख दिया गया है।

डा० कु० ल० राव : परियोजना पर पृथक् से चर्चा नहीं की गई थी। परन्तु यह बताना कठिन है कि इस परियोजना के कार्य को कब प्रारम्भ किया जायेगा क्योंकि अन्य साधनों से माही नहर प्रणाली को पानी देने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जा रहा है।

नागा लैंड का विकास

+

*२०८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विशन चन्द्र सेठ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड की सरकार ने राज्य के विकास के संबंध में एक योजना तैयार करके उसे योजना आयोग के पास भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) योजना पर कितनी राशि व्यय की जायेगी और क्या योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की भी मांग की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि रामन): (क) जी, हां।

(ख) नागालैंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित योजना पर योजना आयोग ने विचार कर लिया है।

(ग) १९६४–६५ के लिये मंजूर की गई वार्षिक योजना के आधार पर, १९६१–६५ के दौरान परिव्यय ८८४ लाख रुपये का होगा। वार्षिक योजना के परिव्यय के लिये केन्द्रीय आय-व्यय में उपबन्ध किया जाता है।

Shri Vishwanath Pandey : I want to know the nature of scheme prepared for the development of inadequate means of Communications in Nagaland.

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : नागालैंड क्षेत्र वास्तव में १ दिसम्बर, १९५७ को नागा हिल्स-ट्युनसांग क्षेत्र था। उस समय इस क्षेत्र के लिये एक पृथक् प्रशासनिक इकाई थी। नेफ़ा के ट्यूनसांग क्षेत्र का कुछ भाग, कोहिमा और आसाम के अन्य भाग इस डिवीज़न में मिला लिये गये हैं। तीसरी योजना के तैयार किये जाने के समय नागालैंड नहीं था। प्रस्ताव नागा हिल्स ट्युनसांग क्षेत्र से प्राप्त हुआ था जैसा कि पूर्ण राज्य बनने से पहले इसे कहते थे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक और खनिज सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या विकास योजनाओं में कोई औद्योगिक तथा खनिज पदार्थ परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : अध्ययन में छः अथवा सात विषय रखे गये थे। सर्वदा ही नवीन अध्ययन किये जाते हैं।

श्री स्वल : क्या नागालैंड के गांवों का पुनःवर्गीकरण, जिसके लिये ६ करोड़ रुपये अथवा इसके लगभग मंजूर किये गये हैं, नागालैंड की योजना का एक अंग है और इस पुनःवर्गीकरण योजना में कितनी प्रगति हुई है अथवा क्या इसका कार्य छोड़ दिया गया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : जहां तक नागालैंड की योजना के परिव्यय का सम्बन्ध है उसमें वास्तव में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नागालैंड राज्य १ दिसम्बर, १९६३ को बनाया गया था।

Shri Vishram Prasad : I want to know whether the plan prepared for Nagaland is on the pattern of the all-India plan or there is any difference between the two.

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : जहां तक मैं जान पाया हूं, विकास की वैसी ही प्रणाली निर्धारित की गई है ।

Shri Sheo Narain : I want to know what arrangements Government has made for means of Communications.

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : वास्तव में संचार के साधनों का एक पृथक् विषय है और उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

दिल्ली में जल संभरण

*२०९ श्री यशपाल सिंह :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली जल संभरण की जल वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर ली है और अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां । मूल जानकारी एकत्रित कर ली गई है । तथापि, विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Yashpal Singh : Is Government aware that water supply remains suspended for more than eight hours in South Avenue? What is Government doing to set it right ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : In South Avenue it might have happened on any one day ; daily such things .....

Some hon. Members : Daily.

Shri Bagri : It happens everywhere except the bungalows of the Ministers.

Dr. Sushila Nayar : It is only for a few hours at night that water supply is suspended ; otherwise it is always there. It may not reach the upper storey due to low pressure.

Some hon. Members : Not even on ground floor.

Dr. Shushila Nayar : For that too provision has been made for a special pump and I have been assured that immediate action would be taken so that the MPs do not have to complain about water.

Shri Yasppal Singh : Has Government considered that water from Jumna alone is insufficient for the city's supply and if so, is there any Scheme to instal tube-wells ?

Dr. Sushila Nayar : There is a proposal to instal tube-wells in Shahdara area and have 15 cusecs of water.

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि, यह जो समिति नियुक्त की गई है उसके प्रतिवदन के प्राप्त होने के समय तक, साउथ एवेन्यू की कठिनाइयों के अतिरिक्त, इस वर्ष समस्त दिल्ली नगर गर्मियों मे होने वाली पानी की सामयिक कमी स बचने के लिये क्या कोई तदर्थ कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० द० स० राजू : बहुत शीघ्र ही वजीराबाद में एक नया शोधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। लगभग दो अथवा तीन महीनों में, और सम्भवतया जून के अन्त तक, इस से और १ करोड़ गैलन पानी मिलने की आशा है। अगले वर्ष के मध्य तक, दिल्ली के जल सम्भरण में वृद्धि करने के लिये ४ करोड़ गैलन पानी मिल सकेगा।

श्री कपूर सिंह : मैं तो इस वर्ष की बात कर रहा हूं, अगले वर्ष की नहीं।

श्री सावित्री निगम : यद्यपि यह तो सच है कि जल सम्भरण में थोड़ा सा सुधार हुआ है, फिर भी माननीय मंत्री ने जिन सर्वेक्षणों का उल्लेख किया है उन से क्या बातें प्रगट हुई थीं ; मुख्य मुख्य बातें क्या थीं ; यहां पर हमें शुद्ध जल किस प्रकार मिलेगा और इस में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या, कैसे और कितने समय में—इतने प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिये।

श्री शशिरंजन : शुद्ध जल के सम्भरण का प्रश्न उठाया गया है। क्या अशुद्ध जल का भी सम्भरण किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

डा० सुशीला नायर : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मुझे से मिल सकती हैं और मेरे साथ बैठ कर अन्तरिम रिपोर्ट को पढ़ सकती हैं। वह एक लम्बी रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह निमंत्रण केवल महिला सदस्य को ही है अथवा अन्य सदस्यों को भी ? . . .

एक माननीय सदस्य : श्रीमन्, आप के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

Shri Achal Singh : Will the hon. minister state whether Panjab has given to Delhi water to the tune of 500 cusecs as envisaged earlier ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, a part of it has been received. Out of these 500 cusecs, some is to be supplied by U. P. It is expected that both will give.

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि संसद्-सदस्यों को जल का सम्भरण करने के बारे में विशेष ध्यान दिया जायेगा। दिल्ली के अन्य नागरिकों के सम्बन्ध मे क्या बात है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह बता दिया है।

डा० सुशीला नायर : अन्य नागरिकों के लिये जो कुछ भी सम्भव है हम कर रहे हैं। परन्तु संसद् सदस्य तो बहुत विशेष नागरिक हैं। हमे उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सच नहीं है। क्या वे गण्य-मान्य व्यक्ति हैं ?

परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान

*२११. श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मे परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश कब तक आत्मनिर्भर बन जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) भारत सरकार ने प्रति वर्ष ६२५.५ लाख रबड़ कन्ट्रासेप्टिव्स के उत्पादन के लिये गैर-सरकारी निर्माताओं को लाइसेंस दिये हैं। तीन और योजनायें मंजूर की गई हैं जिन की सम्मिलित वार्षिक क्षमता यह होगी : २४२६.८ लाख 'रबड़ कान्ट्रासेप्टिव्स', ४१४ लाख झाग वाली टिकियां और ४.६ लाख जेली और पेस्ट की ट्यूबें। सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जहां तक रासायनिक गर्भरोधक सामग्री की उत्पादन क्षमता का सम्बन्ध है देश इस से आत्मनिभर है। जहां तक 'रबड़ कन्ट्रासेप्टिव्स' का सम्बन्ध है, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये यत्न किये जा रहे हैं।

Shri Yash Pal Singh : Population is increasing inspite of the fact that Rs. 25 crores have been spent on family planning. Would it not be better if in future money is spent on self-control and celibacy ?

Mr. Speaker : Is celibacy also an accessory of family planning ? Your question is : "भारत में परिवार नियोजन के लिये आवश्यक सामान के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।"

Shri Yashpal Singh : May I know what portion of the required accessories is exported and what is indigenously manufactured ?

डा० द० स० राजू : जहां तक 'रबड़ कन्ट्रासेप्टिव्स' का सम्बन्ध है, उनमें से अधिकांश आयात किये जा रहे हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूं। आयात किये 'रबड़ कन्ट्रासेप्टिव्स' की संख्या ३०४ लाख है और स्वदेशी उत्पादन २.४८ लाख है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को किसी खाने वाली गर्भरोधक दवाई का भी ज्ञान है जिस का स्त्रियों पर एक निश्चित समय के लिये प्रभाव रह सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : कुछ 'हारमोन' दवाइयां हैं जिन्हें नियमित रूप से लेना पड़ता है ; कहते हैं उनसे गर्भ नहीं होता। तथापि, स्वास्थ्य पर उन के प्रभाव के बारे में संदेह हैं ; कुछ मामलों मे 'थ्रोम्बो फ्लैबिटिस' हो जाने की सूचना मिली है। इसलिये इस समय भारत में उन्हें केवल प्रयोगात्मक आधार पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the States where this scheme is not being implemented due to shortage of accessories?

Dr. Sushila Nayar : Accessories are there everywhere. There is no such instance that the scheme has not been launched for want of accessories. But then thare are people like the hon. member Shri Yeshpal Singh, who lay

that nothing of this sort should be done and therefore the scheme does not succeed at some places.

[नीवेली परियोजना

+

२१२. श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कोया :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री कप्पन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीवेली (मद्रास) से विद्युत् संभरण संबंधी केरल सरकार की प्रार्थना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) रात्रि के ९ बजे से प्रातः ६ बजे तक केरल को मद्रास ग्रिड से २०,००० किलोवाट बिजली दी गई है ।

श्री वारियर : इस सम्बन्ध में केरल सरकार ने मद्रास सरकार और केन्द्रीय सरकार से क्या प्रार्थना की थी ?

डा० कु० ल० राव : आजकल विद्युत् के अभाव की दृष्टि से, केरल सरकार ने पहले ५०,००० किलोवाट बिजली मांगी थी, और अब उस ने अपनी मांग को कम कर के २०,००० किलोवाट कर दिया है जोकि मद्रास ग्रिड द्वारा दी जा रही है ।

श्री वारियर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार को निवेली से, जोकि एक केन्द्रीय परियोजना है, कम से कम गर्मियों में जबकि केरल में विद्युत् शक्ति ४० प्रतिशत कम कर दी जाती है, पर्याप्त बिजली दिलाने के लिये पूरा जोर लगायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

Shri Sheo Narain : May I know what would be rates charged by the Government for this power ?

Mr. Speaker : For Kerala ?

Shri Sheo Narain : Yes Sir.

डा० कु० ल० राव : मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या ऐसी ही प्रार्थना, अपना विद्युत् संकट दूर करने के लिये विद्युत् संभरण के लिये, आंध्र सरकार ने मद्रास सरकार से की है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने राज्य के बारे में पता होना चाहिये ।

डा० कु० ल० राव : आंध्र प्रदेश सरकार के अभ्यावेदन के बारे मे स्थिति यह थी कि आंध्र प्रदेश प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार की निवेली परियोजना से कुछ बिजली के लिये हकदार थी, और इस लिये उसने कहा था कि उसे कुछ बिजली दी जानी चाहिये । यह मामला विचाराधीन है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : नीवेली में कितनी अतिरेक बिजली उपलब्ध है ?

डा० कु० ल० राव : इस समय नीवेली परियोजना मे कोई अतिरेक बिजली नहीं है ।

परियोजना निर्माण लागत संबंधी समिति

+

*२१३. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं की निर्माण लागत मे क ी करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों मे उच्चस्तरीय प्रविधिज्ञ समितियां स्थापित की गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो समितियां कब स्थापित की जायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). केन्द्र मे उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । अनेक राज्यों में ऐसी समितियां नियुक्त की गई हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव कहां से आया ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: यह प्रस्ताव स्वयं योजना आयोग ने किया था । वास्तव में २४ अक्तूबर, १९४९ को एक परिपत्र जारी किया गया जिस में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे निर्माण लागतों को कम करें । उस पत्र में कहा गया था कि निर्माण लागतों को कम करने के लिये केन्द्र में एक विभागीय समिति नियुक्त की जाये और ऐसी समितियां राज्य सरकारों द्वारा भी नियुक्त की जायें । इस सुझाव पर, योजना आयोग के उप-प्रधान द्वारा विभिन्न मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रालय को भेजे जाने वाले विभिन्न पत्रों में, फिर से जोर दिया गया था ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग की अनेक मूल्यांकन और समीक्षा समितियां हैं ? लागत में बचत करने के लिये ऐसी समिति की क्या आवश्यकता है ? क्या सरकार इस बात का यत्न कर रही है कि परियोजनाएं लक्षित लागतों में ही पूरी हो जायें ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में हम कोई नई समिति नियुक्त नहीं कर रहे हैं । राष्ट्रीय निर्माण निगम की स्थायी समिति, जिसमें इस समय ३० सदस्य हैं, का उचित रूप से पुनर्गठन किया जायेगा और फिर वह समिति योजना आयोग की लागत में बचत करने सम्बन्धी समिति के रूप में कार्य करेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी परियोजना का मूल अनुमान परियोजना के पूरा होने के समय तक कई गूना बढ़ जाता है, सरकार इस समिति को किस समय तक के लिये रखेगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: वास्तव में मद्रास, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और गुजरात राज्य उच्च स्तरीय समितियां नियुक्त कर रहे हैं (**अन्तर्बाधा**) मैं मानता हूं कि जहां तक केन्द्र के मंत्रालयों का सम्बन्ध है, कुछ विलम्ब हुआ है । परन्तु हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या योजना आयोग ने इस बात का अनुभव किया है कि परियोजनायें आरम्भ करने में देरी के कारण लागतें बढ़ जाती हैं और स्वयं परियोजना की अर्थ व्यवस्था को हानि पहुंचती है ? प्रशासन को मजबूत करने और योजना व्यवस्था में विलम्बों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: यह निश्चित रूप से राज्यों और केन्द्र की समिति का काम है ।

श्रीमती सावित्री निगम : विभिन्न राज्यों में जो समितियां नियुक्त की गई हैं उनका क्या अनुभव है । क्या उन्होंने लागतों में पर्याप्त कमी की है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: हमें अभी उनके काम के सम्बन्ध में कोई प्रतिवदन नहीं मिला है, इस लिये मैं कुछ नहीं बता सकता ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि लागत में कमी करने के सभी सुझावों का जैसे कि तंग बरामदे, कम स्तम्भ, अधिक गुम्बद आदि, सभी राज्यों द्वारा उल्लंघन ही किया जा रहा है और यदि हां, तो उनकी क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात पर विचार किया जायगा ।

श्री त्यागी : मुझे आश्चय है कि इस समिति मे ३० सदस्य हैं । क्या यह समिति मंत्रालय की ही तरह काम कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात ठीक तरह नहीं सुनी । मैने कहा था कि राष्ट्रीय निर्माण संगठन की स्थायी समिति, जिस मे ३० सदस्य हैं, का पुनर्गठन किया जायगा और फिर वह नई समिति योजना आयोग के अन्तर्गत लागत कम करने की समिति के रूप में काम करेगी ।

श्रीमती रेणुका राय : चार वर्ष की देरी हो जाने के क्या कारण है और केन्द्र में इस समिति के स्थापित होने में कितनी देर लगेगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : कोई देर नहीं हुई है, बहुत से राज्यों ने उच्चस्तरीय समितियां स्थापित की हैं । हम निर्माण आवास और पुनर्वास मंत्रालय से बात चीत कर रहे हैं और केन्द्र में शीघ्र ही समिति नियुक्त करने का यत्न कर रहे हैं ।

श्री इक़बाल सिंह : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में निर्माण लागतें अन्य राज्यों की तुलना में दुगुनी हैं और यदि हां तो इस सम्बन्ध में इस समिति की क्या उपपत्तियां हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि आदिम जातियों के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा लागतें कम हो सकती हैं ।

Shri Bade : Is this Committee going to recommend that the actual expenditure should not exceed the estimates for the projects to a very large extent? For example, the expenditure on the Chambal project was estimated to be Rs. 3 crores but actually it has been Rs. 96 crores and similarly in every other project the actual expenditure has exceeded the estimates by ten to twenty times. Would this Committee go into it and find out the reasons for it ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह बहुत व्यापक प्रश्न है क्योंकि इसमें प्रत्येक परियोजना का उल्लेख किया गया है ।

Shri Rameshwaranand : Has this Committee on projects any past experience and is it honorary or paid?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): The members of this Committee are experienced in this field and since most of them are working in Govt. departments, the question of being honorary or paid does not arise.

Shri Vishram Prasad : As for the construction work the P. W. D. experts, overseers, supervisors and engineers who are engaged therein usually have their specific shares which leads to an increase in the cost of construction of works done by them. Would the Committee take any steps to check this undue rise in the cost of construction in the future ?

Shri B. R. Bhagat : It is now a matter of rooting out corruption.

Shri Tyagi : There will be a separate Committee for that.

D. V. C.

\+

214. **Shri Warrior :**
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Vasudevan Nair :
Shri M. K. Kumaran :
Shri Daji :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Dr. P. N. Khan :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Mohammad Elias :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Maheswara Niak :
Shri R. Barua :
Shrimati Renu Chakraverti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Saradish Roy :
Shri Dinen Bhattacharya :
Dr. Ranen Sen :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 253 on the 28th November, 1963 and state the progress since made in the reorganisation of the Damodar Valley Corporation ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Irrigation and Power (Shri S. A. Mehdi): The Barrage and Irrigation system of the Damodar

Valley Corporation was transferred to the Government of West Bengal with effect from 2.12.63. Proposals for re-organisation of the Corporation are under active consideration.

श्री वारियर: क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को नहर प्रणाली सौंपने से पहले केन्द्रीय सरकार ने उससे बकाया राशि ले ली थी ?

डा० कु० ल० राव: इस में भुगतान का कोई विशेष प्रश्न नहीं है। यह केवल कागजी लेन देन है ; और जब बंगाल सरकार उसे अन्तिम रूप से ले लेगी अथवा जब हिसाब किताब हो जायेगा तब खर्चा भी बंगाल सरकार को बता दिया जायगा। यह लगभग ४४ करोड़ रु० है।

श्री वारियर: पिछली बार यह बताया गया था कि पश्चिमी बंगाल सरकार को नहर प्रणाली देने में विलम्ब का कारण नहर प्रणाली के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बताई गई कुछ कठिनाइयां थीं। इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय क्या था ?

डा० कु० ल० राव: इस मामले में जांच करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपनी एक समिति नियुक्त की है और मेरा विचार है कि समिति ने अनुकूल प्रतिवेदन दिया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने नहर प्रणाली ले ली है।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या मैं दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन और इसकी कार्यवाहियों को छोटे भागों में बांटने के सम्बन्ध में जान सकता हूं, क्या विश्व बैंक ने, जिसने कि दामोदर घाटी निगम को लाखों रुपया उधार दिया है, सरकार को अपने विचार बता दिये हैं और क्या उसने दामोदर घाटी निगम को छोटे भागों में तोड़ने के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए हैं ?

डा० कु० ल० राव: विश्व बैंक ने ऐसे कोई विचार व्यक्त नहीं किए। वास्तव में भारत सरकार ने इन ऋणों के सम्बन्ध में गारन्टी दी हुई है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि दामोदर घाटी निगम में बहुत भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध है और इस लिये सरकार निगम के सारे नियमों का और स्वयं निगम का पुनर्गठन करना चाहती है और यदि हां तो सरकार ने लोक लेखा समिति की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है ?

डा० कु० ल० राव: माननीय मंत्री को बात सही नहीं है। यह पुनर्गठन के काम के आधार पर किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह भी है कि इसके मुख्यालय को इसके लिये उचित स्थान पर भेज दिया जाय और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

डा० कु० ल० राव : जिन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पुनर्गठन का विचार किया गया था उन से मुख्यालय के स्थान का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि भूतपूर्व मंत्री श्री एन० वी० गाडगिल ने, जब वे इस सभा में विधेयक को लाये, इस निगम का जो चित्र खेंचा था वह केवल स्वप्न बन कर रह गया है और यदि हां, तो अधूरी आशाओं के लिये केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार का आपसी विवाद कहां तक जिम्मेदार है ?

डा० कु० ल० राव : भूत पूर्व मंत्री ने क्या आशा दिलाई थी इस के बारे में तो मैं नहीं जानता, परन्तु दामोदर घाटी निगम ने दामोदर नदी के विकास के लिये अच्छा कार्य किया है ; इसने बांध बनाये हैं जो कि कम खर्चे पर बन सकते हैं, उसने सिंचाई का उस तरह से विकास किया है जैसे कि सोचा गया था और जितनी बिजली की आरम्भ में आशा थी उस से काफी अधिक बिजली पैदा की है ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न ।

श्री बड़े उठे—

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें फिर अवसर दूंगा । वे कृपया बैठ जायें । श्री सामन्त ।

श्री स० चं० सामन्त : पश्चिमी बंगाल सरकार ने जो शर्तें रखी थीं, क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया था और यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम अधिनियम में कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी ?

डा० कु० ल० राव : दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के कारण विधि मंत्रालय ने मंत्रणा दी है कि एक संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा, और इसे यथा समय लाया जायगा ।

श्री बड़े : मेरी कठिनाई यह है । माननीय मंत्री ने कहा कि लोक लेखा समिति की बातों के सम्बन्ध में मेरी पूर्वधारणा गलत है । मैं माननीय मंत्री को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धित पृष्ठ दिखाता हूं जिन में उसने कहा है कि वहां पर कुप्रबन्ध है, वहां पर भ्रष्टाचार है और वहां पर पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ संघर्ष भी है । इस लिये वे निगम का पुनर्गठन करना चाहते हैं । वह लोक लेखा समिति की सिफारिश थी । लोक लेखा समिति के प्रधान श्री त्यागी, यहां पर हैं और वह कह सकते हैं कि मैं कहां पर गलत हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्रीमान्, एक बहुत ही महत्व पूर्ण प्रश्न है । मुझे बहुत खेद है ....

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर गलत है तो उपयुक्त तरीका यह है कि वह इसके लिये मुझे लिखें ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह बात नहीं है । मैं आप से निवेदन करता हूं कि ......

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी समय कोई जांच नहीं कर सकता ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यहां लोक लेखा समिति के एक सदस्य हैं जो कहते हैं ....

अध्यक्ष महोदय : हां, यह आशा की जाती है कि लोक लेखा समिति में जो कुछ हुआ है, सदस्य उससे अवगत हैं और वे प्रतिवेदनों से अच्छी तरह अवगत हैं । यह भी आशा की जाती है कि उत्तर सही होने चाहिये और मुझे समझना पड़ता है कि वे सही हैं । यदि कोई माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं, और उनका पक्का विश्वास है और उनके पास पुष्टि के लिये अभिलेख भी हैं कि सभा में जो उत्तर दिया गया वह गलत है तो उन्हें अभिलेखों के साथ मुझे लिखना चाहिये । तो मैं निश्चय ही मंत्री से गलत उत्तर को ठीक कराऊंगा ।

श्री रंगा : श्रीमन क्या मैं सुझाव दे सकता हूं—मैं लोक लेखा समिति के प्रधान, मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी के धैर्य की सराहना करता हूं—कि माननीय मंत्री कृपया लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के नवीनतम प्रतिवेदनों को पढ़ें और देखें कि जो कुछ उन्होंने कहा है क्या वह बिल्कुल

रही है, सिंचाई के सम्बन्ध में निगम के उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में उद्देश्य पूरे हो चुके हैं और अब स्थिति संतोषजनक है ? यह एक बहुत ही साधारण वक्तव्य है जो उन्होंने दिया ।

डा० कु० ल० राव : श्रीमन मेरा एक निवेदन है कि जब मैंने कहा कि माननीय सदस्य की पूर्वधारण सही नहीं है तो यह इस सम्बन्ध में कहा था कि भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्रज्ञात हैं और उनका अच्छी तरह अध्ययन किया जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी उनका संतोषजनक रूप से परिपालन हो गया है, और मैं केवल माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा था . . .

श्री बड़े : वह दामोदर घाटी निगम की प्रशंसा कर रहे हैं जब कि . .

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति । अब वह उत्तर दे रहे हैं वह उन सब बातों से अवगत हैं, परन्तु वह केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दामोदर घाटी का पुनर्गठन सदस्य द्वारा की गई बातों पर ही नहीं अपितु अन्य बातों पर आधारित है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य की पूर्वधारणा गलत थी । पूर्वधारणा का कोई प्रश्न नहीं है । यह केवल कुछ तथ्यों पर आधारित है जो उन्होंने बताये हैं । यदि माननीय सदस्य ने कहा होता कि वे बातें सही हैं, उन्होंने उन पर विचार कर लिया है परन्तु फिर भी कुछ अन्य बातें हैं, तो यह अलग बात थी । उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । वह यह उत्तर नहीं दे सकते कि पूर्वधारणायें गलत हैं । पूर्वधारणा का कोई प्रश्न नहीं है । उन्होंने कोई पूर्वधारणा नहीं की है । उनका प्रश्न कुछ तथ्यों पर आधारित था । यदि उत्तर यह होता है कि पुनर्गठन पृथक आधारों पर किया गया है, यद्यपि उन्होंने उन बातों पर विचार कर लिया है क्योंकि वे उनके लिये उत्तरदायी नहीं हैं, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं । एक ओर तो वह कहते हैं कि समिति के प्रतिवेदन में जो कुछ दिया गया है वह उसे स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर वह पिछले प्रबन्ध की प्रशंसा करते हैं । फिर वह कहते हैं कि पुनर्गठन भिन्न आधारों पर है । ये तीनों बातें एक दूसरे के बिलकुल प्रतिकूल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय की बात को इस प्रकार समझा है कि यह धारणा गलत होगी कि जिस पुनर्गठन का वह जिक्र कर रहे हैं वह लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कही गई बातों के कारण किया गया है । वह कहते हैं कि वह उन से अवगत हैं--उन में से सभी अथवा कुछ बातें सही हो सकती हैं, यह बिल्कुल भिन्न बात है । परन्तु उनका कहना है कि सरकार ने जिस पुनर्गठन का आदेश दिया है वह भिन्न बातों पर आधारित हैं न कि उन पर । इस 'पूर्वधारणा' का उन्होंने जिक्र किया था (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री त्यागी : यदि मंत्री यह कहते हैं कि उन में से कुछ बातें सही हैं तो यह लोक लेखा समिति पर लांछन होगा । मैं चुनौती देता हूं कि उनमें से कोई भी गलत नहीं है । क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि कौन सी बातें गलत हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति के सभापति को बताना चाहता हूं कि सभा में मंत्री को इस प्रकार चुनौती देना उचित नहीं है ।

श्री त्यागी : मुझे अपनी समिति की रक्षा करनी है ।

श्री हरिविष्णु कामत : यह सभा की समिति है ।

श्री बड़े : मंत्री अब भी दामोदर घाटी परियोजना की प्रशंसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं क्या करूं ?

श्री तिरुमल राव : क्या लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध कुछ वर्ष पहले की बातों से है अथवा हाल की बातों से ?

श्री नाथपाई : नवीनतम।

श्री तिरुमल राव : क्योंकि लेखे बहुत देर से आते हैं।

श्री नाथपाई : अच्छा है यदि आप किसी समय प्रतिवेदन को पढ़ें।

श्री त्यागी : वे महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर आधारित होती हैं जो कि प्रति वर्ष सभा पटल पर रखा जाता है। स्वभावतः लोक लेखा समिति पुराने लेखों को देखती है न कि चालू वर्ष के लेखे को। क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि दामोदर घाटी निगम के भागियों, अर्थात्, राज्य सरकारों में, वित्तीय बातों पर बड़े कानूनी मतभेद हैं ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते समय मेरा अर्थ लोक लेखा समिति की टिप्पणियों से नहीं था। मैंने केवल यही कहा था जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पुनर्गठन का काम इस तथ्य के आधार पर नहीं सोचा जा रहा है। जहां तक माननीय सदस्य के भागी राज्यों में आपसी वाद के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इससे सहमत हूं और यह पुनर्गठन के कारणों में से एक है।

भूमि सुधार संबंधी समिति

+

*२१५. श्री हरिविष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैटया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० के० कुमारन् :

म० क०

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भूमि सुधार सम्बन्धी समिति की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कर्तव्य, कृत्य और शक्तियां क्या हैं; और

(ग) इस समिति ने अब तक क्या-क्या कार्य किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उप मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) जी, हां ।

(ख) समिति थोड़े थोड़े समय के पश्चात् विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगी और उनकी क्रियान्विति का उधार करने और मजबूत बनाने के उपायों के सुझाव देगी ।

(ग) समिति की बैठक २३ दिसम्बर, १९६३ को हुई थी । भूमि सुधारों के लागू किये जाने और उनको शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावकारी रूप में लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

श्री हरिविष्णु कामत : क्या मैं जान सकता हूं कि भूतपूर्व योजना मंत्री श्री नन्दा ने, मेरे विचार में जयपुर में, कुछ समय पूर्व जो बात कही थी क्या वह अब भी सच है, कि राज्यों में आवश्यक भूमि सुधारों का विरोध अधिकतर विधान सभाओं के स्वयं कांग्रेस दलों की ओर से किया गया है अथवा यदि उन्होंने नहीं तो कुछ राज्यों के स्वयं मुख्य मंत्रियों ने विरोध किया है, और यदि हां, तो विधान सभाओं के कांग्रेस दलों और कुछ मुख्य मंत्रियों के इस विरोध को दूर करने में सरकार को अथवा इस समिति को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने एक दिन बताया था, भूमि सुधारों को लागू करना वास्तव में राज्यों का ही काम है । भूमि सुधार के अनेक पहलुओं पर राज्यों में बहुत से विधान बनाये गये हैं । जहां तक उनको लागू करने का सवाल है, माननीय सदस्यों को "भूमि सुधारों की प्रगति" नामक एक पुस्तक की एक एक प्रति दे दी गई है । यह सच है कि कुछ मामलों में भूमि सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में कमियां रही हैं जिसके परिणामस्वरूप भूमि सुधार इतना प्रभावी नहीं हो पाया है जितनी कि आशा की जाती थी । इसलिये राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक समिति की स्थापना की है जिसके अध्यक्ष माननीय गृह-कार्य मंत्री हैं तथा अन्य केन्द्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री सदस्य हैं । क्योंकि एक समय-सीमा निश्चित की गई है अतः मार्च के लगभग कुछ जानकारी प्राप्त होने की आशा है ।

श्री हरिविष्णु कामत : देश में भूमि सुधारों के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करने में आचार्य विनोबा भावे के भूदान तथा ग्रामदान यज्ञ आन्दोलनों को कहां तक सफलता प्राप्त हुई है और इससे भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी कम हुई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इनका निरन्तर अध्ययन किया जा रहा है । योजना आयोग की एक समिति इस मामले का अध्ययन कर रही है और आज भी श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक हो रही है । यह केवल परती भूमि के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु ग्रामदान की भूमि और अन्य उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में भी अध्ययन कर रही है और एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है । जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बताया था इन्हें लागू करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है । हम निरन्तर उनका ध्यान इस ओर दिलाते रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : The U. P. Government has stated that in fifty districts of that State, where 7½ crore people are living, Co-operative farming has nowhere resulted in producing more than twelve maunds per acre while private farmers have produced 40 maunds per acre. May I know whether the attention

of this Committee has been drawn to the fact that the co-operative system should be done away with in order to save the country from starvation ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : This is the personal opinion of the hon. Member. What can I say about it ?

Shri Yashpal Singh : It is the statement of the U.P. Government. . . .

Mr. Speaker : He says that the U. P. Government has given a statement to the effect that Co-operative farming has not yielded more than 12½ or 12 maunds of wheat per acre and where there was no co-operation, the yield has been 40 maunds. Has the attention of the Govt. been drawn to this fact and whether it would be considered with land reforms ?

Shri B. R. Bhagat : I am not aware of it. I have no copy of the statement.

Shri Vishram Prasad : The tiller in U.P., Bihar and Madhya Pradesh is known as 'halwaha' (man behind the plough) and the landowners do not till the fields themselves; their servants do it for them. That is why the production in this country is low. May I know whether the land Reforms Committee would take any steps so that the actual tillers may have the right on the land they till ?

Shri B. R. Bhagat : Steps are being taken very expeditiously. Steps are being taken in each State to prepare the record of rights in the name of the tillers, share croppers, 'halwahas' or by whatever name you may call them for the land which they till. We have taken this decision also that the Centre would bear half the expenses which the State Governments would incur in this respect.

Shri Yogendra Jha : Nowhere the man behind the plough . . .

Mr. Speaker : You cannot do like this. I am telling you repeatedly.

श्री भागवत झा आजाद : योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधान मंत्री के और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में श्री नन्दा के भी इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये पहली योजना में कुछ भी नहीं किय गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समिति को केवल इस कथन की अभिपुष्टि करने के लिये ही जानकारी एकत्रित करने का कार्य सौंपा गया है अथवा उनकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में कुछ कार्य करने का भार भी इस पर डाला गया है ? यह कार्य किस प्रकार का है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का दूसरा विचार . . .

श्री भागवत झा आजाद : हम यह जानना चाहते हैं कि उसका ब्यौरा क्या है। हर बार आप यही कह देते हैं कि यह किया जा रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या किया जा रहा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : समिति भूमि सुधारों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में और उनको शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावकारी रूप में लागू करने में अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में जानकारी एकत्रित करेगी। इसके लिये तीन महीने का समय दिया गया है। मैंने संक्षेप में इसका उल्लेख किया था। वास्तव में प्रभारी संयुक्त सचिव ने एक राज्य का दौरा तो कर लिया है और वह अन्य राज्यों, अर्थात, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर का

और कर रहे हैं । यह सब इन तीन महीनों में किया जा रहा है जिनका कि मैंने उल्लेख किया था ।

श्रीमती सावित्री निगम : भूमि सुधार विधान को समान बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? क्या इस समिति द्वारा एक आदर्श अधिनियम का प्रारूप तैयार कराने का प्रस्ताव है ।

श्री वे० रा० पट्टाभिरामन् : यह एक अनुचित मांग होगी क्योंकि भू-धृति विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं और वास्तव में राज्यों को ही इसे लागू करना है क्योंकि भूमि राज्य का एक विषय है । इसलिये वे इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री वारियर : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हाल के कुछ भूमि सुधार सम्बन्धी विधानों से कृषकों को अन्य कुछ ऐसे अधिकारों से वंचित होना पड़ा है जो कि उन्हें प्राप्त थे और उनसे कृषकों को अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं । क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है और क्या यह भी इस समिति को सौंपी जायेगी ?

श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्: मेरा विचार है कि, उन विधानों के सम्बन्ध में जिन्हें कि सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है माननीय सदस्य केवल दो राज्यों का ही, अर्थात् गुजरात और केरल, उल्लेख कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह केरल का उल्लेख कर रहे हैं । एक नया अधिनियम पारित कर दिया गया है। और जैसाकि माननीय सदस्य कहते हैं कि कुछ अधिकार छीन लिये गये हैं तो इस मामले की जांच करनी होगी ।

Shri P. G. Sen : The hon. Minister has stated that record of rights is being prepared for the share croppers. After the record of right has been prepared, the zamindars suit titles in the courts which results in a good deal of loss and harassment to the tenants. Which right would be created by the Government to protect them ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जो कदम उठाये गये हैं उन में से एक अधिकार-अभिलेख का तैयार करना है जिससे कि इस बात का अध्ययन किया जा सके कि भूमि का स्वामी कौन है और वह कितने कितने समय तक किस किस के पास रही है । भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों में से यह एक है :

Shri Rameshwaranand : Has it came to the notice of this Committee that lakhs of acres of land has become arid in the vicinity of the canals in Punjab and the Western Jamuna Canal and whether it has given any suggestions for its reclamation !

Shri B. R. Bhagat : As far the work of reclamation of arid land, it will be done by the State Governments. How is it connected with land reforms ?

श्री दाजी : क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि सरकार ने और इस समिति ने एक सुस्पष्ट निदेश दिया है कि सभी राज्यों को भूमि सुधारों को लागू करने का कार्य तीसरी योजना के अन्त से पूर्व ही समाप्त कर देना चाहिये ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैंने पहले ही यह बताया है कि उन्होंने अपनी पहली बैठक आयोजित कर ली है और वे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं । उन को इस प्रश्न के महत्व का ज्ञान है ।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भूमिहीन श्रमिकों को, भूमि को वास्तव में जोतने वालों को, भूमि को जोतने के अधिकार देने का कोई उपाय है ?

श्री च० रा० पट्टाभिरामन् : यह भी उन कार्यों में से एक है जो कि भूमि सुधारों में परिकल्पित किये गये हैं ।

नेपाल को विद्युत् सम्भरण

*२१६. { **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री कोया : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल को विद्युत् संभरण करने के लिये सरकार बिजलीघरों का निर्माण करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना के लिये कौन-कौन स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी पूंजी लगेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २३५१-६४ ।]

Shri Yogendra Jha : The Government of India will supply electricity to the Nepal Government. Is the Nepal Government implementing all those agreements which have been signed in lieu thereof ; if not, are we prepared to reconsider those agreements ?

डा० कु० ल० राव : मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि नेपाल राज्य को हमारी सहायता के बदले में क्या नेपाल सरकार उन समझौतों को पूरा कर रही है जोकि उसने हमसे किये हैं ।

डा० कु० ल० राव : इन अनेक परियोजनाओं के निर्माण में नेपाल सरकार बहुत ही हार्दिक सहयोग दे रही है ।

Shri Yogendra Jha : Power will be supplied to the Nepal Government form the Kosi project. The scheme of Kothar dam was essential to give final shape to the Kosi project. Has the Nepal Government given the necessary approval for that ?

डा० कु० ल० राव : मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि महाराजाधिराज की सरकार आवश्यक सुविधायें, कोसी क्षेत्र में डलवा की भूमि, दे रही है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या गण्डक जल-विद्युत परियोजना तथा कोसी परियोजना जो कि क्रमश: ४ करोड़ २५ लाख रुपये और २ करोड़ ७८ लाख रुपये की लागत पर बनाई जा रही है, द्वारा उत्पन्न की गई बिजली केवल नैपाल राज्य-क्षेत्र को ही दी जायेगी अथवा वह उस क्षेत्र में भी दी जायेगी जिसमें कि उस का उत्पादन किया जायेगा

डा० कु० ल० राव : गण्डक परियोजना के मामले में, १० मैगावाट भार की बिजली बनाये जाने के समय तक वहां पर बनाई गई बिजली नैपाल तथा भारतीय

राज्य-क्षेत्र दोनों ही को सम्भरित की जायेगी और उसके पश्चात् पूरी की पूरी बिजली केवल नेपाल राज्य क्षेत्र को ही दी जायेगी। कोसी परियोजना के मामले में, ५० प्रतिशत बिजली भारत को दी जायेगी तथा ५० प्रतिशत नैपाल को।

श्री विश्वनाथ राय : गण्डक परियोजना के सम्बन्ध में नेपाल राज्य क्षेत्र में बिजली घरों को स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : बिजली घर और गण्डक क्षेत्र में बिजली प्रणाली बनाने के सम्बन्ध में कार्य हो रहा है। वास्तविक निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। परन्तु आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है और परियोजना कुछ वर्षों में पूरी हो जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि नेपाल में कुछ परियोजनाओं को बनाने के लिये चीन ने जो पहले वायदा किया था वह अब हाल ही में उससे हट गया है, और यदि हां, तो क्या नेपाल के लिये उन परियोजनाओं को बनाने का प्रस्ताव करके नेपाल के साथ अधिक अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने और उसे चीन से विलग करने के लिये सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया है ?

डा० कु० ल० राव : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

बाजार में "बिना खाते का" धन[1]

\+

*२१७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में "बिना खाते के" धन के बारे में सरकार के नवीनतम अनुमान क्या हैं ;

(ख) इन अनुमानों का आधार क्या है ; और

(ग) इस ऐसे धन के कारण क्या बुराइयां फैली हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) और (ख) देश में "बिना खाते के धन" का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) १६ दिसम्बर, १९६३ को संसद् में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के पैरा १८ की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस धन को बाहर निकालने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं अथवा करने का विचार है और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक इस कार्य में बाधास्वरूप हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जिसे "बिना खाते का" धन बताया जाता है उसका अधिकांश भाग कर अपवंचन द्वारा आता है। सरकारी खजाने से बाहर जाने वाले इस प्रकार के धन को समाप्त करने के लिये उपायों की खोज करनी होगी

[1]Unaccounted money.

तथा उन्हें अपनाना होगा । जहां तक बैंकिंग संस्थाओं का सम्बन्ध है तो ऐसी संस्था में धन के एक बार आ जाने के पश्चात् वह बिना खाते का धन नहीं रह जाता ; वहां तो इस धन का हिसाब रखना पड़ता है । इसलिए मैं यह नहीं समझता कि बैंक किसी भी प्रकार से बिना खाते के धन के परिचालन के सम्बन्ध में सहायता कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब अल्प सूचना प्रश्न ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

श्री रा० बरुआ : मेरे स्थगन प्रस्ताव में जो प्रश्न उठाया गया है वह लोक महत्व का एक मामला है क्योंकि वह भारत-विरोधी नारों से सम्बन्धित है तथा उस आन्दोलन से भी . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । इस प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिये । माननीय सदस्य को यह भली भांति ज्ञात है कि अब इस समय अल्प सूचना प्रश्न को लिया जाना है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

SHORT NOTICE QUESTION NO. 1

SCARCITY OF WHEAT AND FLOUR

\+

Short Notice Question No. 1. { **Dr. Ram Manohar Lohia :** / **Shri Ram Sewak Yadav :** / **Shri Kishen Pattanayak :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that there is scarcity of wheat and flour in Delhi and Delhi-Shahdara;

(*b*) if so, whether it is also a fact that in addition to the scarcity of wheat and flour their prices have also shot up ; and

(*c*) if so, the steps taken by Government in this connection ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde) : (*a*) No, Sir.

(b) & (c). The prices of indigenous wheat in Delhi generally move in sympathy with prices in Punjab from where Delhi largely receives supplies. The Government, however, are releasing large quantities of imported wheat from Government stocks in Delhi. About 500 fair price shops are now selling imported wheat to the consumers at the retail price of Rs. 38.85 per quintal or Rs. 14.50 per maund. The roller flour mills in Delhi have also been asked to work to full capacity. Atta produced by these mills is being sold through a large number of retail shops at the controlled retail price of 43 nPs. per kilogram.

D. Ram Manohar Lohia : What is the price of wheat and flour at present and how does it compare with the price during the corresponding period last year ? I am referring to the market rate and not the rate charged by fair price shops. What was the price last month. Could Government give an idea as to what it would be like when the next crop comes in ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : देशी गेहूं के मूल्य में बहुत भारी वृद्धि हुई है, परन्तु आयातित गेहूं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है जोकि ३८ रुपये ८५ नये पैसे प्रति क्विंटल पर मिल रहा है। (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री अ० म० थामस : मैंने कहा है आयातित गेहूं । जहां तक देशी गेहूं के मूल्य का सम्बन्ध है वह १२ फरवरी १९६३ को ४१ रुपये ५३ नये पैसे तक बढ़ गया था ।

श्री दाजी : प्रश्न यह था कि गत वर्ष मूल्य क्या था और इस वर्ष क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे सदस्यों को प्रश्न का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दाजी : वह हिन्दी में था ।

श्री अ० म० थॉमस : मैंने कहा था कि देशी गेहूं के भाव में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है । यदि हम पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें तो पिछले साल लगभग इस समय यह ४१ रुपये ५३ न० पै० प्रति क्विंटल था जबकि इस वर्ष ५९ रुपये ६१ न० पै० प्रति क्विंटल है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न इस प्रकार है : बाजार में इस समय देशी गेहूं का मूल्य क्या है, उचित मूल्य की दुकानों में नहीं परन्तुअन्यथा जैसे कि वह बाजार में मिल रहा है । यह एक बात है ।

श्री अ० म० थॉमस : यह लगभग ६० रुपये प्रति क्विंटल है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर एक वर्ष पहले यह मूल्य कितना था और दो महीनों पहले कितना था ?

श्री अ० म० थॉमस : मैं ने बताया है कि वह एक वर्ष पहले ४१ रुपये ५३ नये पैसे था ।

अध्यक्ष महोदय : एक महीने पहले ?

श्री अ० म० थॉमस : यह १–२ रुपये प्रति क्विंटल कम था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी पता है कि अगली फ़सल के आने तक वह कितना होगा ?

श्री अ० म० थॉमस : वास्तव में,इस मामले में मैं सदन का विश्वास सम्पादन करने का प्रयत्न करूंगा (**अन्तर्बाधायें**) इस प्रकार से उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं है । (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister should not deliver useless sermons.

Mr. Speaker : What can even I do? If the hon. Member who asks the question and the other who gives the reply address themselves to me, probably all can listen but when so many voices are raised, nobody can understand anything. I would request that hon. Members should keep absoluely silent and listen.

Dr. Ram Manohar Lohia : I request the hon. Minister not to give useless sermons.

श्री अ० म० थॉमस : मूल्यों में इस वृद्धि से हम वास्तव में चिन्तित हैं। परन्तु सदन को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि गत वर्ष कम उत्पादन हुआ था। वास्तव में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन तो १९६१-६२ में हुआ था जो कि लगभग १ करोड़ २० लाख टन था। १९६२-६३ में इस उत्पादन में लगभग १४ लाख टन की गिरावट हुई और कुल उत्पादन १ करोड़ ७लाख टन हुआ। जैसाकि सदस्यों को ज्ञात है गेहूं की अगली फसल के भी बहुत अच्छी होने की संभावना नहीं है इसलिये कम उत्पादन के कारण स्वाभाविक रूप से मूल्य बढ़ गये हैं। परन्तु जहां तक जनता के ऐसे भाग का सम्बन्ध है जिस पर कि इसका प्रभाव पड़ता हो तो हम इसके लिये पर्याप्त मात्रा में आयातित गेहूं की निकासी करने के लिये तैयार हैं। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि आयातित गेहूं अधिक पौष्टिक है, हालांकि यह इतना नरम नहीं है जितना कि देशी गेहूं होता है और लोगबाग देशी गेहूं को कुछ अधिक पसन्द करते हैं। परन्तु जहां तक आयातित गेहूं के वितरण का सम्बन्ध है, हमने वितरण की मात्रा बढ़ा दी है. . .

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : एक औचित्य प्रश्न पर। एक विशेष उत्तर प्राप्त करने के लिये एक विशेष प्रश्न पूछा गया है परन्तु मन्त्री महोदय एक लम्बा भाषण दे रहे हैं। इस प्रकार सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। एक बहुत ही सीधा-सादा प्रश्न पूछा गया था। गत वर्ष गेहूं का मूल्य कितना था और आजकल बाजार में इसका मूल्य कितना है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय, एक लम्बा भाषण दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उसका उत्तर दिया जा चुका है। कभी कभी मन्त्री को अन्य कुछ प्रश्नों का भी पूर्वानुमान करना पड़ता है और ऐसे समय वह वक्तव्य दे सकता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Before asking the next question I may submit to you that the hon. Minister has not replied to my question.

Mr. Speaker : You may ask the next question.

Dr. Ram Manohar Lohia : In view of the fact that the fair price shops sell only a very small portion of the total quantity sold in the market, has Govern-vernment considered to control the flunctuations in the prices of foodgrains, particularly of wheat, between two crops and if so, at what level?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) : There are two parts of the question which the hon. Member has asked about wheat. As far the wheat sold by the fair price shops, it is incorrect to say that it falls short of the requirements of the population here. The rate of which wheat is being sold in Delhi by the fair price shops or is being supplied to the mills in Delhi is, in my opinion, sufficient for a population of about 20 lakhs. It should not be said to be inadequate. The wheat which is being sold by the fair price shops or is being supplied to the mills is sufficient for a two-third population of Delhi. I have also stated and whatever more is needed, both wheat and flour, can be supplied and I think there would be no scarcity of these things.

The other question which the hon. Member has asked is that the prices fall down after the harvest and are raised by the dealers before the crop comes

and what control Government wants to exercise in this regard. I think it is something very reasonable. We are actively thinking about it and will take necessary steps.

Shri Kishen Pattnayak: Has the attention of the Government been drawn to the fact that whole-sale dealers and established commission agents can get loans from the banks against stored foodgrains which promotes hoarding ? What is Government doing to stop these loans ?

श्री अ० म० थॉमस: रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को दिये जाने वाले अग्रिम धन में कमी कर दी है।

श्री दाजी : माननीय मन्त्री ने अभी बताया था कि गत एक वर्ष में लगभग १८ रुपये प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ गया है। क्या इन महान् कठिनाइयों को देखते हुए सरकार इस वृद्धि को सामान्य समझती है अथवा उसके विचार में यह वृद्धि असामान्य है, और यदि असामान्य है, तो मूल्यों को कम करने के लिये क्या ठोस और प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं ?

श्री स्वर्णसिंह : देशी गेहूं के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह असामान्य है। न तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ही और न उपलब्धि के दृष्टिकोण से ही मैं इस मूल्य वृद्धि को सामान्य समझता हूं। २३ तारीख को होने वाले खाद्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा। किन्तु विषय का सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए मैं सभा को यह बता दूं कि गत वर्ष १०८ लाख टन गेहूं के उत्पादन में से बाजार में बिक्री के लिये फालतू गेहूं की मात्रा लगभग एक तिहाई अर्थात् ३६ लाख टन है। अतः देशी गेहूं की ३६ लाख टन मात्रा बाजार में उपलब्ध थी उसके साथ ही आयातित गेहूं की भी उतनी ही मात्रा, लगभग ३८ लाख टन, का वितरण किया गया है। वस्तुतः बाजार में बिक्री वाली मात्रा का जहां तक सम्बन्ध है, यह बराबर-बराबर है। यह सच है कि लोग देशी गेहूं अधिक पसन्द करते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति भ्रान्तिपूर्ण है। व्यापारियों ने जनता की इसलिये रुचि को देखकर कीमतें बढ़ाई हैं। हम इस समस्या पर गम्भीरता में विचार कर रहे हैं और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये प्रभावपूर्ण कदम उठायेंगे।

Shri Bagri : Are Government aware of the fact that the prices of foodgrains rise form 50 to 150 % between the two harvests ? Government's figures indicate less increase. Those figures are incorrect. Will Government consider over this matter and exercise some such control so that the prices may not rise to this extent between the two harvests ?

Shri Swaran Singh : I have already given a reply to this question.

Shri Bagri : It is stated that there is no forward trading in foodgrains. Are Government aware of the fact that forward trading is being carried on in gram in the garb of 'Methi' and in wheat in the garb of mustard resulting in an increase in the prices and if so, are Government taking any steps to prevent it ?

Shri Swaran Singh : No forward trading is being carried on in foodgrains.

Dr. Ram Manohar Lohia : He says that forward trading in grams is being carried on in the garb of 'Methi'.

Shri Bagri : Forward trading in wheat is being carried on in the garb of mustard.

Mr. Speaker : He should take his seat when I call another Member. Please listen to his question now.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, Sir, my submission isthis. He says that forward trading in gram is carried on in the garb of 'Methi'.

Mr. Speaker : Please take your seat.

Shri Bagri : The hon. Minister talks of cities above. Let him see the condition in villages as well.

Mr. Speaker : Order, order.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकार ने इस दिशा में क्या रोकथाम की है कि सस्ते मूल्य पर बिकने वाला गेहूं व्यापारियों के हाथ में जाकर चोरबाजारी का माध्यम न बन पाये ? यदि हम दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानों की मार्फत गेहूं का वितरण कर रहे हैं तो फिर कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं ? आप जो गेहूं १३ रुपये में व्यापारियों को देते हैं वही आगे जाकर २६ रुपये में बिकता है, इसकी रोकथाम के लिये आप क्या प्रभावकारी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि आयातित गेहूं भी ऊंची कीमत पर बिक रहा है । इस तरह की शिकायतें तो प्राप्त हुई हैं कि देशी गहूं अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। यदि कहीं पर इसमें मिलावट होती है तो इस मामले की जांच दिल्ली प्रशासन करेगा ।

Shri Rameshwaranand : The first question may kindly be replied.

Mr. Speaker : He will not reply it like this.

Shri Rameshwaranand : Please listen to my submission.

Mr. Speaker : I will not listen to it in this manner. I have called the Minister and he is replying, it must be listened first.

Shri Swaran Singh : Swamiji becomes impatient. I was replying in English and he is now raising a question after listening to it. This discloses that he understands English.

Shri Bagri : He wants to say something regarding the hunger-stricken and ill-clad people.

Shri Swaran Singh : Anyone else may die hunger-stricken but in our country Swamis will not.

The question I was replying was that even the wheat which we have imported from abroad is being sold at higher prices. This fact has been stated today by Shri Harish Chandra Mathur. But prior to this such a thing was never brought to my notice. So far we had been told that the wheat did not taste well.

Shri Radhe Lal Vyas : I had stated this in my speech on the 18th February.

Shri Swaran Singh : If this is so, we will solve the problem.

Shri Rameshwaranand : Sir, I submit. . .

Shri Bagri : This is rather urgent, we should discuss the matter. This is a question of the lives of crores of people. The House should discuss the matter.

Shri Rameshwaranand : I wanted to submit...

Mr. Speaker : How does one need my permission?

Shri Rameshwaranand : I take my seat.

Mr. Speaker : Now you can speak.

Shri Rameshwaranand : I have all respect for you. We have been told in the answer that Government was not aware of the facts. Such answers in Lok Sabha do not behove Ministers.***

Mr. Speaker : Order, order. This may be expunged from the record of the proceedings.

माननीय सदस्यों को सभा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिये ।

Shri Tyagi : The fair price shops are mostly located in cities whereas a large part of our population lives in villages. The price of wheat in villages has risen very high. Government should adopt measures so that the poor may also be assured relief.

श्री अ० म० थामस: हमने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर उचित मूल्य की दुकानें खोल सकते हैं और हम उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार गेहूं देने के लिये प्रस्तुत हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में आवास योजनाओं के लिये आवंटन में कटौती

*२१०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आवास योजनाओं के लिये आवंटित राशि में काफी मात्रा में कटौती कर दी गई है, जिसका प्रभाव निम्न आय वाले वर्ग पर सबसे अधिक पड़ा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;और

(ग) राजधानी में विशेषत: निम्न आय वाले वर्ग की आवास की समस्या को किस प्रकार सुलझाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिए १२·०५ करोड़ रुपये का आवंटन आवास के लिये किया गया था । इसको बढ़ा कर अब १५·८० करोड़ रुपये कर दिए गए हैं । इसमें से निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन आवास के लिए १·२५ करोड़ रुपये को बढ़ाकर २·२५ करोड़ रुपये तीसरी योजनावधि में

***Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

कर दिए गए हैं। परन्तु ५,००० लाख रुपये के मूल आवंटन में से ७·०० लाख रुपये कम कर दिए गए हैं और इस प्रकार १९६३-६४ के लिए राशि ४३.०० लाख रुपये कर दिए गए हैं। ऐसा वास्तविक व्यय की अनुमानतः कमी के कारण किया गया है।

आवास निधि का व्यपवर्तन[1]

*२१८. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री तन सिंह :
श्री कोया :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को योजना आयोग ने परामर्श दिया है कि आवास के लिये निश्चित किये गये धन का अन्य विकास परियोजनाओं के लिये प्रयोग न करे ;

(ख) तीसरी योजना में आवास के लिये राज्य सरकारों को कितना धन आवंटित किया गया है तथा इस कार्य के लिये कितने धन का उपयोग किये जाने की आशा है ; और

(ग) आवास परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में संघ मन्त्रालय के परामर्श पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) योजना आयोग मामले पर विचार कर रहा है।

(ख) आवास योजनाओं के लिये १२२ करोड़ रुपये का उपबन्ध तीसरी योजना के लिए किया गया था जिसमें से राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए ८०·५९ करोड़ रुपये दिए गए। इसमें से पहले चार वर्षों में ४२·७३ करोड़ रुपये व्यय हो जाने की संभावना है।

(ग) सामालीकरण करना बड़ा कठिन है।

पंजाब के पहाड़ी क्षत्रों में पीने के पानी का संभरण

*२१९ **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अपने विशेष अनुसन्धान विभाग द्वारा पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाने का विचार है क्योंकि वहां पर शुद्ध पीने के पानी का बड़ा अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

राज्य वित्तीय निगम

*२२०. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने राज्य वित्तीय निगमों को नियन्त्रित करने वाली संविधियों

[1]Diversion.

के उपबन्धों के परीक्षण का अनुरोध किया है ताकि अनावश्यक रूप से निर्बन्धक उपबन्धों को हटाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री ब०रा० भगत): (क) और (ख) राज्य वित्त निगम के प्रतिनिधियों के दसवें सम्मेलन का उद्घाटन करते समय बंगलौर में ४ जनवरी १९६४ को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अन्य बातों के अतिरिक्त विदेशों में विकास बैंकों के बारे में उन्होंने एक बात यह बताई कि वहां के प्रबन्धकों को यह निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह ऋण लेने वालों से क्या जमानत लें, आगे सुझाव दिया कि इस देश में राज्य वित्त निगमों की संविहितों के वर्तमान उपबन्धों की जांच करना अब उचित होगा क्योंकि वह बहुत नियन्त्रित हैं और उनको कितनी छूट दी जानी चाहिए। सम्मेलन में गवर्नर ने यह बात इस आधार पर कही थी कि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित राज्य वित्त निगम के कार्यकारी वर्ग ने ऐसी सिफारिश की थी। कार्यकारी वर्ग ने यह सिफारिश की थी कि राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ की धारा २५(२) की शर्तों के अनुसार राज्य वित्त निगमों द्वारा पर्याप्त जमानत लेने का उपबन्ध इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि ये औद्योगिक संस्थानों के बनाये जाने पर अधिक ध्यान दें। राज्य वित्त निगम अधिनियम में संशोधन करने के औचित्य पर सरकार विचार तभी करेगी जब रिजर्व बैंक वर्ग की सिफारिशों की जांच कर लेगा तथा अपने विचार सरकार को भेज देगा।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

*२२१. **श्री केप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य राष्ट्रीय परियोजना के रूप में किया जाना चाहिये;

(ख) क्या उसने उस प्रयोजन के लिये ऋणों के स्थान पर अनुदानों की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है तथा केन्द्रीय ऋण सहायता के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं पाया गया।

तकनीकी जनशक्ति संसाधन

*२२२. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान तीसरी पंचवर्षीय योजना और आने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तकनीकी, दक्ष और अर्द्धदक्ष स्तरों पर जनशक्ति संसाधनों का अनुमान लगा लिया गया है; और

(ख) अपेक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य की प्रगति में कितनी बाधा पड़ी है और किस क्षेत्र में इस का सब से अधिक प्रभाव पड़ा है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन सम्बन्धी योजना आयोग के प्रतिवेदन में उन लोगों को बसाया गया है जो धीमी गति के कारण पीछे हैं। विभिन्न लोगों पर कितना असर पड़ा है इसकी विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

पीने के पानी का संभरण

*२२३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी योजनावधि में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में अलग-अलग पीने के पानी पर अब तक कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) काम की गति बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया**। देखिये संख्या एल० टी०-२३५२/६४।]

State Planning Boards

*224. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Planning be pleased to refer to the reply given to starred question No. 8 on the 18th November, 1963, and state the number of States in which Planning Boards have been constituted so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : State Planning Boards have been set up in Orissa, Punjab, Rajasthan, Bihar and Jammu & Kashmir.

विदेशी मुद्रा की रक्षित राशि

*२२५. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी विदेशी मुद्रा की रक्षित राशि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यह बारह महीने पहले की स्थिति की तुलना में कैसी है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिये १९६२ में लगाये गये प्रतिबन्धों में कोई छूट देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख) भारत की विदेशी मुद्रा की रक्षित राशि (भारत के रिज़र्व बैंक में रखे हुए सोने के अतिरिक्त) १ फरवरी, १९६४ को १८२.६७ करोड़ रुपये थी जब कि १५ फरवरी, १९६३ को १४७.८१ करोड़ रुपये थी।

परन्तु हमारी विदेशी मुद्रा में सुधार को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि हमें विदेशों को पर्याप्त धन देना है। १४ फरवरी, १९६४ के बारह महीने की अवधि में हमें १५ फरवरी, १९६३ तक की अवधि की तुलना में मूलधन तथा सूद के रूप में ५० करोड़ रुपये अधिक देने हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अमरीकियों द्वारा पूंजी लगाया जाना

*२२६. **श्री महेश्वर नाथक :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही अमरीकी व्यापारियों ने भारत में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में अनिच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या उन्होंने हमारे देश में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई बताई है; और

(ग) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं तथा उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). अब तक कोई विशेष कठिनाई नहीं बताई गई है।

दिल्ली में अनधिकारवासी

*२२७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी जमीन पर से अनधिकारवासियों को हटाने के लिये कोई १८ महीने का कार्यक्रम हाल में ही आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द्र खन्ना) : (क) और (ख) २२ जनवरी, १९६४ को निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री से मेयर तथा दिल्ली नगर निगम के कुछ सदस्यों की बैठक हुई थी। इस बैठक में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकार तथा भारत सेवक समाज

के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें यह निर्णय किया गया था कि निगम फरवरी, १९६४ से प्रति माह लगभग २००० प्लाटों की व्यवस्था करेगा जिससे आगामी १८ महीनों में यह समस्या समाप्त हो जाये। इन उपनगरों में सड़क, सड़क पर बिजली, जल संभरण, पाखाने तथा पेशाबघर आदि की सुविधायें वह देंगे। यदि निकट में स्कूल तथा अस्पताल की सुविधा नहीं होगी तो वह टैंटों में प्राइमरी स्कूल तथा चलते फिरते अस्पताल की व्यवस्था करेंगे।

मंहगाई भत्ता

*२२८. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नाथ पाई :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या यह भूतलक्षी प्रभाव से दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग) मैं ६ फरवरी, १९६४ को जारी किये गये समाचारपत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२३५३/६४]**

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि

३९९. श्री श्याम लाल शर्राफ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में व्यापार अथवा नौकरी में लगे हुए भारतीय राष्ट्रजनों को वापस विदेश काम पर जाते समय अपने साथ पर्याप्त विदेशी मुद्रा ले जाने के मामले में क्या कोई छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी): (क) जी, नहीं। तथापि विनियमों में पहिले ही यह व्यवस्था है कि भारत में सामान्यतया न रहने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा लाई गई तथा यहां पहुंचने पर घोषित की गई विदेशी मुद्रा से अनधिक विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जा सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में सिंचाई योजनायें

४००. **श्री हिमम्मतसिंहका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सिंचाई योजनाओं के लिये बिहार राज्य को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) राज्य ने इन योजनाओं पर वस्तुत: कितनी धनराशि व्यय की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास में कर्मचारियों क लिए क्वार्टर

४०१. **श्री वै० तेवर** क्या **निर्माण, आवावस तथा पुन सि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारयों के लिये स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि अर्जित कर ली गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के निष्पादन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसको पूरा करने के लिये निर्धारित की गई अन्तिम तारीख क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) लगभग ९.४ एकड़ भूमि का अर्जन किया जा चुका है तथा और अधिक भूमि अर्जित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). टाइप "वी" के ३० क्वार्टरों का निर्माण कार्य चालू हो गया है तथा टाइप "वी आई" के १२ क्वार्टरों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा। इन क्वार्टरों का निर्माण अगले वर्ष किसी समय पूरा हो जाने की आशा है।

विदेशी सरकारों के पास भारतीय मुद्रा

४०२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सरकारों तथा विदेशी व्यापारी संस्थाओं के पास कितनी भारतीय मुद्रा है; और

(ख) यह मुद्रा किस प्रकार से प्रयोग तथा नियंत्रित की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सम्भवतया माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत बनी प्रतिरूप रुपया निधियों के प्रकार के भारतीय मुद्रा खातों में कितनी धनराशि है। जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, ३१ अक्तुबर, १९६३ को इस प्रकार का प्रतिरूप रुपया निधियों की धनराशि ८२२.८१ करोड़ रुपये थी जिसमें से १७५ करोड़ रुपये अमरीका के प्रयोग के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं। शेष भारत के रिज़र्व बैंक में एक विशेष खाते में जमा हैं तथा भारत की विकासशील परियोजनाओं के लिये ऋण तथा अनुदान लेने के लिये उपयोग की जानी है।

कुछ अन्य विदेशी सरकारों के पास भी सी प्रकार की रुपया निधियां हैं परन्तु इनमें बहुत थोड़ी ही धनराशियां हैं तथा इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने के बाद सभा पटल पर रख दी जायेगी । जहां तक विदेशी मिशनों तथा फर्मों के, जोकि पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से विदेशियों की हैं, भारत में बैंक के खातों, जमा निधियों तथा प्रतिभूतियों आदि का सम्बन्ध है, हमें इस बात का खेद है कि बैंकर-ग्राहक सम्बन्धों के गोपनीय होने के कारण इन ब्यौरों का प्राप्त करना संभव नहीं है ।

कलकत्ता का स्टाक एक्सचेंज

४०३. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के स्टॉक एक्सचेंज की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि उसे एकक प्रन्यास योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). कलकत्ता के स्टॉक एक्सचेंज से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस में यह सुझाव दिया गया था कि भारत के मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों को भारत के एकक प्रन्यास की प्रारम्भिक पूंजी में अंशदान देने वालों में सम्मिलित किया जाना चाहिये । सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु अन्त में इस को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

४०४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि के कटाव को रोकने के लिए अलप्पी के समुद्र तट में कृत्रिम आहार सम्बन्धी व्यवस्था चालू कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं । एक या दो स्थानों पर नये तरीके की आजमा श करने के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी कोसी नहर

४०५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के सुझाव के अनुसार पश्चिमी कोसी नहर के मार्ग में परिवर्तन करने के बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या नहर के बनाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पश्चिमी कोसी नहर के मार्ग के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है । नेपाल की सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है ।

(ग) जी, नहीं । इमारतों के निर्माण ज से प्रारम्भिक कार्य पूरे किये जा चुके हैं ।

एथियोनमाइड[1] औषधि

४०६. **श्री रा० जि० दुबे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मे एंड कर लि०, ब्रिटेन के जनरल मेनेजर, श्री आर० वीड द्वारा दी गई इस चेतावनी की ओर आकृष्ट किया गया है कि तपेदिक के उपचार में प्रयोग की जाने वाली एथियोनमा ड औषधि गर्भवती स्त्रियों को नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि इस से गर्भस्थ शिशुओं को हानि हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां । नवम्बर, १९६३ में मेसर्स मे एंड बेकर (इंडिया) प्राइवट लि०, बम्बई ने भ्रण चिकित्सा सम्बन्धी उन अध्ययनों के परिणामों के बारे में भारत सरकार को अवगत किया जोकि ब्रिटेन स्थित उनके मूल स्वामियों ने जानवरों को एथियोनमा ड देकर किये थे । इन से यह पता चला कि मा भारी मात्रा में दवा देने से जानवरों के जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें विकृतियां हो जाती हैं । आगे यह पता चला कि २८ स्त्रियों ने, जिन्होंने गर्भावस्था में एथियोनमाइड ली थी, सामान्य शिशुओं को जन्म दिया । अत: यह निष्कर्ष निकालना कि क्या जानवरों पर प्रयोग किये जाने से जो बातें पता चली हैं उनका चिकित्सा से कुछ सम्बन्ध है कठिन है ।

तथापि, सावधानी के तौर पर, मेसर्स मे एंड बकर, ब्रिटन ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें डाक्टरों से यह सिफारिश की गई है कि "जब तक डाक्टर इलाज के लिये एथियोनमाइड दवा का देना अत्यावश्यक न समझे तब तक इस दवा को गर्भवती अथवा गर्भवती होने वाली स्त्रियों को न दिया जाये ।" उन्होंने इस दवा सम्बन्धी तकनीकी साहित्य में भी इसी के अनुसार संशोधन कर दिया है ।

(ख) बम्बई स्थित मेसर्स मे एंड बेक (इंडिया) ने इसी प्रकार का एक परिपत्र भारत के डाक्टरों के लिये जारी करने तथा इस दवा से सम्बन्धित साहित्य में संशोधन करने के लिये एक प्रस्ताव किया था जोकि स्वीकार कर लिया गया है । एक बात और भी कि भारत में इस दवा का वाणिज्यिक रूप से विपणन नहीं हो रहा है । डाक्टर की सलाह पर विशेष मामलों में निजी आयोग के लिये ही इसके आयात की सिफारिश की जा रही है ।

पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञ दल की यात्रा

४०७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग के मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिम जर्मनी के एक विशेषज्ञ दल ने इस देश का दौरा किया था ; और

[1]Ethionamide Drug.

(ख) यदि हां, तो दौरे का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार के निमंत्रण पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के आर्थिक सहयोग के मंत्री ने, वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल के साथ, नवम्बर-दिसम्बर, १९६३ के दौरान भारत की यात्रा की थी ।

(ख) इस शिष्टमंडल तथा भारतीय मंत्रियों एवम् अधिकारियों के बीच दोनों देशों के मध्य आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई । जर्मनी के मंत्री महोदय की दिल्ली की इस यात्रा के दौरान एक अन्तर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें १९६३-६४ में उपयोग के लिये डी एम ३३६.६ मिलियन (४०.०६ करोड़ रुपये) उधार की व्यवस्था की गई है । भारत में जर्मनी की युद्ध-पूर्व आस्तियों के सम्बन्ध में ६३ लाख रुपये से अनधिक धनराशि के भेजने सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में भी समझौता हुआ ।

NASIK SECURITY PRESS

408. SHRI PRAKASH VIR SHASTRI : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a)whether enquiry regarding the printing of Xmas Greeting Cards in the Nasik Security Press has been completed; and

(*b*) if so, the result thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir

(b) Due to out-of-the-way location of the India Security Press at Nasik Road, there was a practice in the Press to execute odd private jobs for the staff of the Press on the basis of regular work orders and to recover charges for the work so executed. The printing of Xmas greeting cards for the Master India Security Press was done on payment in accordance with this practice. Orders have recently been issued that no private jobs should be undertaken by the India Security Press whether with or without payment on behalf of the staff of the Press.

पूर्व निर्मित गृह-निर्माण कारखाना[1]

४०९. श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २१ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व निर्माण करने वाली संयंत्रों के नमूनों का निरीक्षण करने के लिये अधिकारियों का दल रूस तथा चेकोस्लोवाकिया भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

[1] Pre-fab Housing Factory.

(ग) पूर्व निर्मित गृह निर्माण कारखाने की स्थापना का कार्य कब प्रारम्भ होने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

जीवन बीमा निगम का कारोबार

४१०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के दौरान जीवन बीमा निगम ने कितना कारोबार किया, कितनी राशि के दावों का भुगतान किया तथा कितने दावों का भुगतान शेष रहा और इस वर्ष से पहिले वर्ष की तुलना में इन शीर्षकों के अन्तर्गत जो आंकड़े हैं वे कैसे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि १९६२-६३ के दौरान जो नया कारोबार हुआ है वह अधिकतर इस प्रकार का है जिस में स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती ; और

(ग) क्या बिना स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता के किया गया कारोबार जीवन बीमा निगम के सामान्य कारोबार से भिन्न होता है तथा इस योजना के अन्तर्गत जोखिम के लिये क्या उपबन्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(करोड़ रुपयों में)

	१९६१–६२	१९६२–६३
किया गया कुल कारोबार	६१७.२६	७०७.७२
भुगतान किये गये दावे	३३.२९	३५.८३
अवधि के अन्त में शेष दावे	१३.७२	१३.५५

(ख) जी, नहीं ।

(ग) "नॉन-मेडिकल" योजनाओं के अन्तर्गत जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की परीक्षा नहीं करानी पड़ती परन्तु इसके अधीन स्वीकृत कर्मचारियों का ५,००० रुपये तक तथा अन्य व्यक्तियों का २,००० रु० तक ही बीमा किया जा सकता है । अशिक्षित बीमाधारियों के मामले में, पालिसियों के जारी किये जाने की तारीख से १ वर्ष तक बीमे की राशि पर निगम का धारणाधिकार रहता है ।

रेलवे की जमीन पर झुग्गियां तथा झोंपड़ियां

४११. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे की जमीन पर कितनी झुग्गियां तथा झोंपड़ियां बनी हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि लोग ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जोकि मानव के रहने योग्य नहीं है तथा अनेक घातक दुर्घटनायें भी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उनको वहां से हटा कर पुनर्वासित करने का कब विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग). जून-जुलाई, १९६० में की गई जनगणना के अनुसार दिल्ली में रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए परिवारों की संख्या लगभग २,७५० थी । चूंकि उन्होंने अविकसित जमीनों पर अव्यवस्थित तरीके से कब्जा किया था, अतः उनकी रहन सहन की दशायें संतोषजनक नहीं हैं । परन्तु घातक दुर्घटनाओं के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है । क्षेत्रवार सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत इन परिवारों की बारी आने पर इनको झुग्गी तथा झोंपड़ी सफाई योजना के अधीन इसके बदले दूसरा आवास स्थान दिया जायेगा ।

गुड़ की मण्डी, दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

४१२. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री २९ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुड़ की मंडी, दिल्ली में विस्थापित लोगों के लिये १७० मकान बनाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) १९६१–६२ में तथा १९६२–६३ में इस काम के लिये दिल्ली निगम को कितनी राशि दी गई ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) छः ब्लाकों में मकान बनाने के काम में नींव भर दी गई है ।

(ख) कोई राशि नहीं दी गई ।

व्यावसायिक तथा भौतिक चिकित्सा

४१३. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचलित संगठनों तथा अस्पतालों में व्यवसायिक तथा भौतिक चिकित्सकों को कितना अधिकतम वेतन दिया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २३५४/६४]**

दिल्ली में बिजली का अन्त्येष्टि यंत्र

४१४. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि दिल्ली में बिजली के अन्त्येष्टि यंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : बिजली के अन्त्येष्टि यंत्र की स्थापना सम्बन्धी निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मैसर्स वोल्टास से, जिसने उपकण दिया है, उपकरण को लगाने की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है और लगभग जून-जुलाई १९६४ तक इसके चालू हो जाने की आशा की जाती है।

फाइलेरियासिज़ क लिए अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था

४१५. **श्री गो० महन्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फिलेरियासिस का उपचार करने के लिये कोई गवेषणा एवं प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गई है; और

(ख) क्या इस ने बीमारी के उपचार के लिये कोई सूत्र या उपाय मालूम किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

४१६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पू० नं० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को जर्मनी से उपहार के रूप में कुछ दुर्लभ चिकित्सा संबंधी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या वे पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं या जर्मनी भाषा में; और

(ग) यदि ये पुस्तकें जर्मन भाषा में लिखी गई हैं, तो क्या सभी चिकित्सा छात्रों के सहायतार्थ इनका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां। यह सच है कि ३४३ जर्मन चिकित्सा पुस्तकें पश्चिम जर्मनी दूतावास द्वारा २३ दिसम्बर, १९६३ को अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था को भेंट की गई थीं। ये चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें जर्मन के कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रन्थों का आधुनिक संस्करण हैं, जो १९६०–६१ में "भारत में जर्मन पुस्तक प्रदर्शनी" में दिखाई गई थीं।

(ख) इन ३४३ पुस्तकों में से, ३२२ जर्मन में, और अंग्रेजी में हैं तथा १९ जर्मन तथा उसके अंग्रेजी अनुवाद समेत हैं।

(ग) इस समय जर्मनी भाषा से अंग्रेजी में इन पुस्तकों का अनुवाद करने का कोई प्रस्ताव नहीं। जर्मन भाषा की पुस्तकों का उपयोग कुछ अध्यापकों द्वारा, जो उस भाषा को जानते हैं, किया जायेगा।

ग्राम दान

४१७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विधान न होने के कारण ग्रामदान मान्य नहीं रहा ;

(ख) यदि हां, तो इसको कानूनी तौर पर मान्य बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) अब तक कितने गांव ग्रामदान में मिले हैं; और

(घ) उन गांवों का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) ५,७९४ गांवों के सितम्बर, १९६३ तक दान दिये जाने की सूचना मिली है ।

ग्रामदान गांवों की जांच पड़ताल, स्थापना तथा प्रबंध की सुविधा लाने के लिये एक प्रारूप ग्रामदान विधेयक सर्व सेवा संघ के प्रतिनिधियों के परामर्श के साथ तैयार किया गया था और राज्य सरकारों को भेजा गया था । ग्रामदान विधियां असम तथा राजस्थान में अधिनियमित हो चुकी हैं । मद्रास में भू-दान अधिनियम में ग्रामदान भूमि के प्रबंध का भी उपबंध है । बिहार तथा उड़ीसा में, भू दान विधियों में संशोधन किया गया है ताकि ग्रामदान गांवों की भूमियां प्रबंध के लिये समूचे समाज को दी जा सकें । आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं । विशेष अधिनियमों के पारित होने तक, सहकारी संस्थाएं कुछ राज्यों में ग्रामदान भूमियों की व्यवस्था के लिये विशेष उपविधियों के द्वारा बनाई गई हैं ।

ग्रामदान गांवों के विकास से संबंधित मामलों पर २ और ३ नवम्बर, १९६३ को हुई बैठक में विचार किया गया था । राज्य सरकारों तथा अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित थे । यह निर्णय किया गया है कि जिन राज्यों ने ग्रामदान विधियां नहीं बनाईं, उन्हें शीघ्र ही ऐसी विधियां बनानी चाहियें । बैठक का निर्णय राज्य सरकारों को विचारार्थ तथा अपेक्षित कार्रवाई के लिये भेज दिया गया है ।

केरल में परिवार नियोजन

४१८. **श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये केरल सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता अब तक दी गई है;

(ख) इस में से कितनी राशि का अभी तक उपयोग किया गया है; और

(ग) इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में राज्य द्वारा कितनी प्रगति की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :(क) अब तक तीसरी योजना में केरल राज्य को वहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये १३.४९६ लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) १३.१६ लाख रुपये का अभी तक उपयोग किया गया है ।

(ग) राज्य में इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य द्वारा की गई प्रगति नीचे दिखाई जाती है :—

(१) २५० परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र तथा एक चलता-सर्जिकल यूनिट स्थापित किये गये हैं ।

(२) तीन प्रादेशिक परिवार नियोजन अधिकारी, क्विलोन, एर्नाकुलम तथा कालीकट में नियुक्त किये गये हैं ।

(३) तीसरी योजना में दिसम्बर, १९६३ तक वंध्यकरण आपरेशन २३,६३६ व्यक्तियों पर किये गये ।

(४) परिवार नियोजन शिक्षा के लिये १,६३,७१५ व्यक्तियों से मुलाकात की गई तथा ४,३८,४०८ व्यक्तियों को परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मंत्रणा दी गई ।

(५) १,१८,०३९ व्यक्ति परिवार नियोजन उपायों का प्रयोग करते हैं और अस्पताल में अनुपस्थिति २,०४,३९१ है ।

कोठा गुडम तापीय विद्युत् संयंत्र

४१९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम तापीय विद्युत् संयंत्र के निर्माण पर जनवरी, १९६४ के अन्त तक कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) कोयला खानों से संयंत्र तक कोयला भेजने के लिये रज्जुपथ बनाने का काम कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या तीसरी योजना अवधि के अन्त तक संयंत्र के चालू हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ७३ लाख रुपये ।

(ख) १९६५ में ।

(ग) जी हां । पहला ६० मैगावाट जैनेरेटिंग यूनिट जनवरी–मार्च, १९६६ में चालू हो जाने की आशा है और दूसरा ऐसा ही यूनिट अप्रैल–जून, १९६६ में चालू हो जाने की आशा है ।

पोंग बांध

४२०. **श्री हेमराज** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोंग बांध की जनता को विस्थापित करने के लिये सीमांकन केवल १४१० फुट पर ही किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जलाशय के भरे जाने के कारण तीन या चार मील की गहराई तक झील के दोनों किनारों पर पास की भूमि तथा मकानों पर कुप्रभाव पड़ेगा और जल के रिसने तथा जल के खड़े रहने के कारण क्षति होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन लोगों को बहिष्कृत घोषित करने के लिये कोई नीति बनाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). क्योंकि डिजाइन किये गये पूर्ण जलाशय स्तर झील में १४०० है, १४३० स्तर तक भूमि और मकानों का अभिग्रहण किया जा रहा है १४३० स्तर के ऊपर जलरिसने तथा खड़ा रहने से भूमि तथा सम्पत्ति को कोई क्षति होने की आशा नहीं है :

ब्यास तथा सतलुज ब्यास सम्पर्क बांध

४२१. **श्री हेमराज :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास नियंत्रण बोर्ड द्वारा "आउस्टीज" की परिभाषा उन व्यक्तियों के संबंध में की गई है, जो ब्यास तथा सतलुज ब्यास सम्पर्क बांधों के निर्माण द्वारा विस्थापित होंगे ;

(ख) यदि हां,तो क्या, और

(ग) क्या राजस्थान में भूमि की कीमत नियत करने के लिये कोई नीति संबंधी निर्णय किया गया है, जिस पर इन "आउस्टीज" को बसाया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी नहीं यह विचाराधीन है।

डाक तार कर्मचारियों के लिए प्रतिकरात्मक भत्ता

४२२. **श्री हेमराज**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अपने कर्मचारियों को वही लाभ प्रदान करने का विचार है, जो पंजाब सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों को प्रदान किये जाते हैं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जी नहीं। मामले पर विचार करना होगा।

DENTISTRY IN INDIA

423. **SHRI ONKAR LAL BERWA :** Will the Minister of Health be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great dearth of material required for dentistry in India;

(b) if so, the quantity of material being imported at present; and

(c) the name of acticles decided to be manufactured here ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) :

(a) Yes.

(b) The average value of material imported in the past three years (1960-1963) is 10, 45000.

(c) Some materials are already being manufactured. it is proposed to manufacture all ranges of dental instruments, equipment and appliances in the country. An Indian firm which has been licenced to manufacture dental equipment in collaboration with a British firm is expected to go into production during the year for dental chairs, dental units, airotors and other accessories. Schemes are also under progress for the manufacture of dental instruments and appliances of the type required for repairs or extraction of tooth, operating on tooth sockets and making of artificial dentures.

ARREST OF GOLD SMUGGLERS IN DELHI

QUESTION

424. **SHRI ONKAR LAL BERWA :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of gold smugglers was arrested on the 12 December, 1163 in Delhi;

(b) if so, the value of gold smugg'ed so far by the gang;

(c) the number of persons in g ng; and

(d) whether any foreigner was also involved therein ?

The Minister of Finence (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No Sir.

(b) to (d) Do not arise.

कानपुर में आयकर की बकाया राशि

४२५ **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में आयकर की बकाया राशि का बड़ा हिस्सा १९६३ में किया गया था।

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि वसूल की गई।

(ग) कितनी राशि अभी बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) १ अप्रल से १९६३ से ३१ दिसम्बर पर वसूल की गई बकाया राशि ३९.७९ लाख रुपये है।

(ग) ५९४.४६ लाख रुपये।

ब्यास बांध

४२६. **श्री हेमराज :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यास बांध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अमरीकी अभिकरण के दल ने क्या सिफारिशें की हैं।

(ख) सरकार ने कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ब्यास परियोजना संबधी अमरीकी दल की रिपोर्ट परियोजना के सामान्य तकनीकी मुल्यांकन के रूप में हैं, जो परियोजना के लिये ऋण देने के सबंध में ए० आई० डी० के कहने पर तैयार की गई है। दल द्वारा यह रिपोर्ट ए० आई० डी० प्राधिकारियों के लिये है यद्यपि इस की एक प्रति भारत सरकार को भी प्राप्त हो चकी है परियोजना के लिये ऋण देने का प्रश्न अभी ए० आई० डी० और आई० बी० आर० डी० के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लेखा परीक्षा तथा लेखा पालन विभागों के लिए कर्मचारी

४२७. श्री वासुदेवन नायर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत हड़ताल के पश्चात से लेखापरीक्षा तथा लेखापाल विभागों के कितने कर्मचारी अभी तक सेवा में वापिस नहीं लिये गये !

(ख) क्या अखिल भारतीय लखा परीक्षा तथा लेखा पाल संस्था को मान्यता दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो डसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ४३।

(ख) और (ग) यह अनुमान है कि माननीय सदस्य अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखा-परीक्षा तथा लेखा पाल संघ का उल्लेख कर रहे हैं। इस संघ को पुन: मान्यता देने का तब तक प्रश्न नहीं उठता जब तक यह उस प्रकार की गतिविधियां जारी रखती है, जिनके कारण इस की मान्यता हटा दी गई थी ?

परिवार नियोजन के लिए गर्भनिरोधक सामग्री

४२८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अपेक्षित संतोषजनक किस्म के रबड़ के गर्भ निरोधक बना रही है।

(ख) निर्यात क्षमता कितनी है और वास्तव में कितने गर्भनिरोधक बनाये जा रहे हैं।

(ग) क्या देशी रबड़ निर्माताओं से अपेक्षित मानक का माल तैयार करने को कहा गया है, और उनको सहायता दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ; और

(ङ) इन के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है .

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) भारत सरकार सरकारी क्षेत्र में रबड़ के गर्भ-निरोधक तैयार नहीं कर रही तथापि, लाइसेंस, रबड़ के गर्भ निरोधक बनाने के लिये गैर-सरकारी

निर्माताओं को जारी किये जा रहे हैं। पहले आमतौर पर किस्म अधिकांश गर्भ निरोधकों की संतोषजनक नहीं थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) एक एकक (तकनीकी विभाग रजिस्ट्रार महा निदेशालय में) इस समय रबड़ के गर्भ निरोधक तैयार कर रहा है। उनके द्वारा तैयार माल की शीघ्र ही सामान्य उपयोग के लिये जांच की जाएगी।

लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत तीन एककों ने गर्भ निरोधक बनाना आरम्भ कर दिया है। एक रबड़ गर्भ निरोधक की जांच की गई है और वह संतोषजनक पाया गया है।

(ङ) १९६१-६२ में २८.२७ लाख रुपये की, १९६२-६३ में २३.६८ लाख रुपये और अर्ध वर्ष अप्रैल १९६३ से सितम्बर १९६३ तक ७.३६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा रबड़ के गर्भ निरोधकों को आयात पर खर्च की गई थी :

चिटफंड नियम

४२९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त मंत्री** २१ नवम्बर १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५ के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत नियम बनाने के संबंध में मद्रास सरकार का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही क्या की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) मद्रास सरकार ने मद्रास चिटफण्ड अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत अभी नियम नहीं बनाये या अधिनियम को अभी लागू नहीं किया। तथापि यह पता लगाया गया है कि उनका इरादा यह है कि नियमों के साथ साथ अधिनियम यथाशीघ्र लागू किया जाए।

(ख) कुछ समय पूर्व, मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, १९६१ को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू करने के संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई थी, उस के अनुपालन में, मद्रास राज्य में अधिनियम के लागू होते ही, अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

विद्युत् करघा उद्योग

४३०. **श्री बड़े :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत् करघा उद्योग में विद्युतकरघा से बने सूती कपड़े व्यापारियों : रारोपण के लिये "बड़े बुनकर" माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये व्यापारी उद्योग को धन देकर चलाते हैं और उत्पादन शुल्क के कारण उन्होंने उद्योग को धन देना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) सरकार ने धन तथा कच्चे माल के संबंध में विद्युत् करघा उद्योग के बुनकरों को वित्त देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) उत्तर नकारात्मक है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्मित कपड़े पर लगाता है और नियमों के अनुसार वह कपड़ा निर्माण के स्थान से देय शुल्क दिये बिना नहीं उठाया जा सकता। अतः व्यापारी साधारणतया इस से प्रभावित नहीं होते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विद्युत् करघा उद्योग के कार्य संचालन की इस समय श्री अशोक मेहता के नेतृत्व में विद्युत् करघा जांच समिति द्वारा जांच हो रही है। समिति से आशा है कि वे अगले महीने के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। वह जांच होने तक भारत सरकार के धन तथा अथवा कच्चे माल के मामले में विद्युत् करघा उद्योग के बुनकरों के वित्त देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है।

दण्डक रण्य में बसे शरणार्थी

४३१. **श्री श्याम लाल शर्राफ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के दण्डकारण्य में बसे शरणार्थी परिवार कृषि कार्यों में लग रहे हैं ; और

(ख) क्या उन के लिये सिंचाई के लिये जल सम्भरण, उत्तम बीजों, उर्वरकों और बैलों की सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) दण्डकारण्य विकास योजनाओं संबंधी प्राप्त प्रतिवेदनों की ओर भी मा० सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो समय समय पर माननीय सदस्यों में परिचालित की जाती है।

दन्त चिकित्सा कालेज

४३२. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का भारत में अधिक दन्त चिकित्सा कालेज खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वे कालेज कब स्थापित किये जायेंगे और किन स्थानों पर ; और

(ग) उन पर कितनी लागत लगेगी।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार का तीसरी योजना-वधि में १०.३४ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर नागपुर में एक दन्त चिकित्सा कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

चौथी योजना के प्रस्ताव अभी बनाये जा रहे हैं।

पोंग बांध तथा सतलुज व्यास सम्पर्क

४३३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध तथा सतलुज व्यास सम्पर्क के निर्माण पर लगने वाली लागत में से लाभ उठाने वाले राज्यों द्वारा दिये जाने वाले अंश के बारे में फैसला हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस का फैसला करना होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) व्यास सतलुज परियोजना अर्थात (पोंग बांध और व्यास सतलुज सम्पर्क) की पंजाब तथा राजस्थान के बीच दो एककों की लागत में अंश दिये जाने के संबंध में जो भी अन्तिम निर्णय होगा, उस से सर्वथा, भिन्न, निम्न, व्यास परियोजना की कुल लागत तथा बिजली के लाभों में भाग लेने के लिये निम्नलिखित तदर्थ प्रतिशतता मानी गई है :—

	पंजाब	राजस्थान
पोंग बान्ध . .	३२	६८
व्यास-सतलुज सम्पर्क .	८५	१५

नौवहन समवायों के धन वापिस लेने सम्बन्धी दावे

४३४. **श्री धवन :**
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्द्रीय सरकार ने आय-कर विभाग को हिदायतें दी हैं कि विदेशी नौवहन समवायों के धन वापिस लेने संबंधी दावों को निबटाने में शीघ्रता बरती जाय ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी हिदायतें कब जारी की गयीं ; और

(ग) कितने मामलों में कार्यवाही की गयी है और कितने मामले अभी शेष हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में पहले हिदायतें जून, १९५० में जारी की गयी थी। १९ दिसम्बर, १९६३ को फिर से हिदायतें जारी की गयीं।

(ग) १९ दिसम्बर, १९६३ को हिदायतें जारी करने के बाद की स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) १९ दिसम्बर, १९६३ को कार्यवाही के लिये लम्बित मामलों की कुल संख्या	७७
(२) उन मामलों की संख्या जिन के बारे में कार्यवाही पूरी की जा चुकी है	१५
(३) उन मामलों की संख्या जिन के बारे में कार्यवाही अभी की जा रही है	६२

कृषि के लिये निधियां

४३५. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा वर्ष १९६४-६५ की अवधि के लिये, कृषि कार्यक्रम के लिये, और निधियों का उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निधियों की राशि क्या है और राज्यवार उस का वितरण किस प्रकार किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) वर्ष १९६३–६४ के लिये अन्तिम रूप से स्वीकृत १२७.५ करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में, वर्ष १९६४–६५ के लिये, कृषि क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित विभिन्नक कार्यक्रमों के लिये १४६.७ करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। राज्य-वार वितरण संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २३५५/६४]**

वर्ष १९६४–६५ में अग्रेतर अतिरिक्त व्यय संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

४३६. श्री सुबोध हंसदा : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सभी सामदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने केन्द्रों की कमी है ;

(ग) उन स्थानों में ऐसे केन्द्र न स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या तृतीय योजना की कालावधि में इस कमी को पूरा किया जायगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) ३० जून, १९६३ को खण्डों की कुल संख्या ४५२३ थी जब कि उस समय ३५१० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए थे।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तब तक नहीं खोले जाते जब तक कि खण्ड प्रथम प्रक्रम के अन्तर्गत नहीं आ जाते। अनुभव से मालूम हुआ है कि किसी खण्ड के प्रथम प्रक्रम के अन्तर्गत आ जाने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने में १२ से १८ मास का समय दरकार होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब इसलिए होता है चूंकि (१) भवन कार्यक्रम, स्टाफ कवार्टरों सहित, को कार्यान्वित करने में देरी होती है, (२) प्रशिक्षित कर्मचारियों, विशेषकर स्त्रियों, की भर्ती में कठिनाई और (३) असन्तोषजनक वेतन-क्रम।

(घ) जी हां, आशा की जाती है कि ऐसा हो जायेगा।

'शरवती' योजना से प्राप्त विद्युत्

४३७. श्री सं० ब० पाटिल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर की सरकार ने राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में, 'शरबती' योजना की विद्युत् का उत्पादन बढ़ाने के लिये, अतिरिक्त राशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) जी हां। राज्य सरकार ने अक्तूबर, १९६३ में, 'शरवती' तथा अन्य विद्युत् योजनाओं के लिये, जिन्हें तृतीय योजना में कार्यान्वित किया जाना है, ३०.३३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की मांग की है ।

(ख) वर्ष १९६३-६४ के लिये ३·५ करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गयी थी ।

मैसूर में बकाया कर

४३८. **श्री सं० व० पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में, सरकार द्वारा अब तक आय-कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा अन्य केन्द्रीय करों की कुल कितनी राशि वसूल नहीं की गयी ; और

(ख) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) मांगी गई जानकारी नीचे दी गयी है :—

	रुपये
(१) ३१-१२-६३ को आय-कर की सक्रिय बकाया राशि	२,८४,७९,०००
(२) ३०-९-१९६३ को केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि	११,७७,०४३

अन्य केन्द्रीय करों संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) बकाया राशियों को वसूल करने के लिये आय-कर अधिनियम, १९६१ तथा केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनिमय, १९५६ में उपबन्धित सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

मैसूर में करों का निर्धारण

४३९. **श्री सं० व० पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में, मैसूर राज्य में, आय-कर, सम्पदा-शुल्क तथा धन-कर की, अलग-अलग, कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी ; और

(ख) इसी कालावधि में प्रत्येक की कितनी कितनी राशि वसूल की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में, मैसूर राज्य में, आय-कर, सम्पदा शुल्क तथा धन-कर के रूप में जिस राशि की मांग की गयी, वह निम्नप्रकार है :—

	(हजारों में) रुपये
आय-कर	२६,२६,६२
सम्पदा-शुल्क	६७,५२
धन-कर	८७,८८

(ख) इस कालावधि में वसूल की गयी कुल राशि निम्न प्रकार है :—

	(हजारों में) रुपये
आय-कर	२२,७९,८९
सम्पदा-शुल्क	५४,८६
धन-कर	६३,३६

मद्रास राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

४४०. **श्री मलाइछामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मद्रास राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वर्ष १९६४-६५ की अवधि में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) १३७ ।

(ख) १८ ।

(ग) १० लाख रुपये ।

कई मंजिलों वाले कार्यालय भवन

४४१. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया गेट से केन्द्रीय सचिवालय तक, राज पथ के दोनों ओर कई मंजिलों वाले कार्यालय भवन निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) तथा (ख). राजपथ के दोनों ओर, संख्या १, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड तथा संख्या २, मौलाना आज़ाद रोड़ पर, कई मंजिलों वाले कार्यालय भवनों का निर्माण हो रहा है । इन भवनों पर लागत लगभग ४ करोड़ रूपये आयेगी । इनके बनने से ११·३२ लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान उपलब्ध होगा ।

नई टकसाल

४४२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक नई टकसाल स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कौन सा स्थान विचाराधीन है ; और

(ग) इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय लेने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) हम विचार कर रहे हैं कि नई टकसाल कोलार स्वर्ण सोना क्षेत्रों के निकट स्थापित की जाय । अंतिम निर्णय टकसाल मास्टर, हैदराबाद, से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही लिया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

अफ्रीका के नये स्वतन्त्र देशों से स्वदेश वापस आने वाले भारतीय

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"अफ्रीका के नये स्वतंत्र देशों से स्वदेश वापस आने वाले भारतीय"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सरकार को मालूम है कि पूर्वी अफ्रीका सामान्य सेवा संगठन के ११५० भारतीय उदभव के कर्मचारी समय से पहले सेवानिवृत हो कर उगांडा, केनया आदि से भारत आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग २००० व्यक्ति इस संगठन की "अफ्रीकीकरण" नीति के फलस्वरूप फालतू घोषित किये गये लोग भारत आना चाहते हैं।

शायद कुछ अन्य लोग भी आना चाहते हों। परन्तु सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि बड़ी संख्या में लोग वहां से आना चाहते हैं।

यह लोग अपनी इच्छा से ही भारत ,आ रहे हैं। सरकार ने इन की सहायता के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई चूंकि उन्हें नियमों के अनुसार वहां से उचित प्रतिकर मिलेगा। सीमा-शुल्क एवं सामान संबंधी नियमों में ढील दी गयी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: मैं उपमंत्री का ध्यान मंत्रालय में राज्य मंत्री के अनादरपूर्ण वक्तव्य की ओर दिलाते हुए यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है, और इस देश में जो शिष्टमंडल आया था उसकी मांगों के बारे में क्या विचार किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : इस विषय में हमारी नीति स्पष्ट है, इसलिये पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। भारतीय उदभव के जो लोग अफ्रीका में रहना चाहते हैं वह वहां रहने वाले लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करें, और जो यहां आना चाहते हैं वह आ सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : MOTION FOR AJOURNMENT

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : आसाम की सुरक्षा के सिलसिले में हम ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। नवगांव में हाल ही में भारत-विरोधी नारे लगाये गये और मिज़ो आन्दोलन से खतरा बढ़ रहा है। हमें शंका है कि इन घटनाओं के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिये अनुमति नहीं दी, अतः इस प्रकार इस मामले को नहीं उठाया जा सकता।

श्री स्वैल (आसाम-स्वायत्त जिले) : हमें सूचना मिली है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो गड़बड़ हो रही है उस के लिये आसाम के कुछ अन्य पदाधिकारी उत्तरदायी हैं, और कि चीन ने आसाम की विधि तथा व्यवस्था में गड़बड़ फैलाने के लिये पैसा दिया है (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार सदस्यों से कहा है कि यदि मैं किसी प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं देता तो उस के बारे में चर्चा आरम्भ न की जाय । इस प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार कर दिया है । इस स्थगन प्रस्ताव में कोई एक विषय नहीं है । कई मामले एक साथ जोड़ दिये गये हैं ।

श्री स्वैल : इसका एक ही विषय है : आसाम की सुरक्षा ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा सामान्य प्रकार का विषय है जिसपर चर्चा इस तरह से नहीं हो सकती । स्थगन प्रस्ताव के लिये एक विशिष्ट विषय होना चाहिये । यदि माननीय मंत्री कुछ और इस बारे में कहना चाहते हैं तो वह मुझे मिल सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : माननीय उपमंत्री ने अपने वक्तव्य में, जिस समाचार पत्र की खबर की ओर मैं ने निर्देश किया था, उसकी चर्चा नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के बारे में हस्ताक्षरकर्ता द्वारा केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: मेरा प्रश्न समाचार पत्र की खबर पर आधारित था जिसकी चर्चा उन्होंने नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख दें । मैं माननीय मंत्री को पता कर जो सूचना मिलेगी आप को दे दूंगा । या आप इस बारे में अन्य एक सूचना दे दें ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

समवाय विधि बोर्ड तथा लेखा परीक्षा तथा विनियोग लेखे, रेलवे, सम्बन्धी अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७८ की एक प्रति, जिसके अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की कुछ शक्तियां तथा कार्य कम्पनी विधि-बोड को सौंपे गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३३८/६४]

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७९ में प्रकाशित कम्पनी विधि बोर्ड (प्रक्रिया) नियम, १९६४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३३९/६३]

(३) (एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९६४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४०/६४]

(दो) १९६२-६३ के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—समीक्षा की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४१/६४]

(तीन) १९६२-६३ के विनियोग लेखे, रेलवे भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४२/६४]

(चार) १९६२-६३ के खण्ड लेखे (पूंजी के विवरण सहित, जिसमें ऋण लेखा सम्मिलित है) सन्तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि का लेखा, रेलवे की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४३/६४]

दिल्ली विकास प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): मैं, डा० सुशीला नायर की ओर से

(४) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत, वर्ष १९६१-६२ के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी० २३४४/६४]

सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(५) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ५० ।

(दो) दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ५१ ।

(तीन) दिनांक १८ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ८७ ।

(चार) दिनांक १८ जनवरी, १९६४ की जी० एस आर० संख्या ८८ ।

(पांच) दिनांक २५ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ११२ ।

(छः) दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १९६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४५/६४]

(६) सीमा-शुल्क, अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ४९ ।

(दो) दिनांक १ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १४५ ।

(तीन) दिनांक १ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १४६ ।

(चार) दिनांक १ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १४७ ।

(पांच) दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १९४ ।

(छै) दिनांक ८ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या १९५ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४६/६४]

(७) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ जनवरी, १९६४ की जी० एस० आर० संख्या ३६ ।

(दो) दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४७/६४]

लोक ऋण (संशोधन) नियम तथा संपदा-शुल्क (संशोधन) नियम, १९६४

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हू :—

(८) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक, १ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४ में प्रकाशित लोक ऋण (संशोधन) नियम, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २३४८/६४]

(९) सम्पदा-शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक १ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४१९ में प्रकाशित सम्पदा-शुल्क (संशोधन) नियम, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० २३४९/६४]

प्राक्कलन समिति

Estimate Committee

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं रेलवे मन्त्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में चवालीसवां प्रतिवेदन ।

(२) इण्टगरल कोच फैक्टरी के बारे में पैंतालीसवां प्रतिवेदन ।

समिति के लिए निर्वाचन

Election to committee

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं, डा० सुशीला नायर की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४ (छ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, डा०

[डा० द० स० राजू]

पी० डी० गायटोंडे के स्थान पर, जो लोक-सभा के सदस्य नहीं रहे, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन काम करनेके लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था एक्ट, १९५६ की धारा ४ (छ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, डा० पी० डी० गायटोंडे के स्थान पर, जो लोक-सभा के सदस्य नहीं रहे, अखिल भारती चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में उक्त एक्ट के अन्य उपबन्धों के अधीन काम करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वाहिक उप-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव का उत्तर दिये जाने के बारे में

Re-Reply to Motion of Thanks on Address by Vice-President discharging the functions of President

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, I request you to rectify the decision taken by the Deputy Speaker yesterday.

Mr. Speaker : I have no objection in listening to you, but you must tell me first if, it is within my power to rectify that decision. Even if you prove that the said decision was wrong, I have no power under the constitution, the Rules of this House or under any other law, to rectify that. So there is no use raising that point.

Dr. Ram Manohar Lohia : This House has got that power, through you.

Mr. Speaker : If you prove that this House has that power I will be prepared to bring this before the House.

Dr. Ram Manohar Lohia : If a wrong decision has been taken, it must be brought to the notice of the House.

Mr. Speaker : You think that that decision was wrong, but the other hon. Member can hold a different view. Before this matter is allowed to be raised, we must see whether this House or I have any power, under any rule, to rectify the decision taken by the chair.

Dr. Ram Manohar Lohia : There must be some scope for rectifying the wrongful proceedings of the House.

Mr. Speaker : A decision taken, in respect of any issue that is there before the House at a particular time, by the Chair, whether the chair is occupied by the Speaker himself or by the Deputy-speaker or by any Member of the Panel of Chairmen, is final, and no appeal can be made to either the Speaker or the House in regard thereto. If the same issue is raised again in different circumstances, then the power to take a decision will lie with the person occuping the chair at that time.

Dr. Ram Manohar Lohia : Leaving aside the question raised by me yesterday, and alse the rules, I want your permission to raise this point as a matter of principle.

Mr. Speaker : I have no objection to uour saying anything; and I agree with what you wrote to me, that the Speaker should remain more calm than the Members. But unless you want that the present rules should be modified, which can be considered only if you give a notice to that effect, there is no use raising this point.

Dr. Ram Manohar Lohia : But the rule 20 has no relevance to what I say. My point is that the relations between the President and this House are of an intimate nature, and only a person who can justify that intimate relationship should reply to the discussion held on the President's Address.

Mr. Speaker : What does the hon. Member want me to do ?

Dr. Ram Manohar Lohia : I want that there should be a rule to that effect and the constitutional point that has been raised by me should be considered afresh. What is the course open to us, in case the Prime Minister is somehow not able to reply to the discussion on the President's Address ? Under what circumstances the Prime Minister can be allowed to do so ? We must consider all these things.

Mr. Speaker : I have heard all you had to say.

Dr. Ram Manohar Lohia : There is no rule in existance regarding this.

Mr. Speaker : I have given you time and shown sufficient patience, in spite of the fact that I know that I had no power and there could be no appeal regarding the decision taken by the hair. I have nothing but to express my helplessness in this matter.

Dr. Ram Manohar Lohia : In fact, we are helpless.

रेलवे आय–व्ययक, १९६४-६५–सामान्य चर्चा

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : प्रत्येक वर्ष पहले रेलवे मन्त्री द्वारा और फिर वित्त मन्त्री द्वारा करोंमें वृद्धि की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि मूल्य बढ़ जाते हैं। इस वर्ष भी रेलवे मन्त्री ने अपने पूर्वाधिकारियों से भिन्न मिसाल कायम नहीं की ।

इस वर्ष अधिकार में २ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। पहले दो वर्षोंमें जो वृद्धि हुई उसको मिलाकर ५१·२६ करोड़ रुपये की करों में वृद्धि हुई । गत तीन वर्षों में किराये और भाड़े ८ प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । यदि रेलवे में, जो स्वयं सरकार द्वारा चलाई जाती है, यह दशा है तो सरकार अन्य क्षेत्रों में मूल्यों के बढ़ने को कैसे रोक सकती है । इसलिये रेलवे मन्त्रालय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कर रहा है ।

वर्ष १९६१-६२ में किराये और भाड़े में वृद्धि करते हुए रेलवे मन्त्री ने कहा था कि वह रेलवे कर्मचारियों को अधिक महगाई भत्ता देना चाहते हैं जबकि तथ्यों से ज़ाहिर है कि उनके पास १६·४८ करोड़ रुपये फालतू थे । इसके अतिरिक्त वह सामान्य राजस्व में अच्छा योगदान दे रहे हैं । अवमूल्यन के लिये उन्हें काफी धन प्राप्त हो रहा है । रेलवे मन्त्री ने कहा था कि उन्हें केवल अवमूल्यन के लिये ही नहीं वरन् पुनर्नवीकरण के लिये भी धन की आवश्यकता थी । परन्तु राजस्व से ही आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता । इसके लिये निधियों से धन प्राप्त करना चाहिए ।

[श्री नम्बियार]

रेलवे नकारात्मक नीति का अनुसरण कर रही है। वह श्रमिकों की मांग को पूरा नहीं करती परन्तु मुद्रास्फीति बढ़ाये जाती है। अवमूल्यन और व्यय पर इसलिये बल दिया जाता है कि श्रमिकों को कुछ देना न पड़े और किराये और भाड़े में वृद्धि की जा सके। आज तीन वर्ष से वह फालतू धन दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी वृद्धि की जाती है।

कर्मचारियों को २, ५ और १० रुपये की बढ़ौतरी की गयी है जबकि जीवन निर्वाह व्यय देशनांक १३५ अथवा १३६ तक पहुंच चुके हैं।

रेलवे की समन्वित परिवहन नीति भी नहीं है। रेल, सड़क, जलमार्ग और तटीय परिवहन साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिये एक नियोगी समिति नियुक्त की गयी थी परन्तु दबाव डालकर तथा अन्य प्रकार से उसके काम में बाधा डाली गयी।

विश्व बैंक ने एक प्रस्ताव किया कि वह कोयले के परिवहन में जो गतिरोध हुआ उसके बारे में जांच करना चाहता है। उसके निर्देश पदों को देख कर पता चलता है कि वह वह काम करेगा जो नियोगी समिति कर रही थी। यह समझ में नहीं आया कि विश्व बैंक को जांच के लिये अनमति क्यों दी गयी। विशेषकर, जबकि विश्व बैंक की परिवहन सम्बन्धी नीति हमारी नीति के उलट है। अमरीकन अभिकरण यह चाहता है कि कम दरों वाली वस्तुओं का वहन रेलवे करे और बकाया माल का वहन सड़क द्वारा हो। ऐसा करने से निजी सार्थों को सहायता मिलेगी और रेलवे को हानि होगी। वह यह भी चाहता है कि उद्योग वहीं पर स्थापित हों जहां पर कोयला उपलब्ध है। इसका परिणाम यह होगा कि कोयला खानों से दूर क्षेत्रों में उद्योग स्थापित नहीं हो सकेंगे। भारत सरकार जैसे अमरीकन चाहते हैं उसी प्रकार काम कर रही है। विश्व बैंक के कहने पर हम अपनी परिवहन सम्बन्धी नीति में परिवर्तन क्यों करें। जो ऋण हमें बैंक देता है वह हम वापस देंगे, और उस पर काफी ब्याज दिया जा रहा है। नियोगी समिति को गौण स्थान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी नीति के मामले में अमरीकनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो कुछ उद्योगपतियों के हित की बात करते हैं।

बोनस आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है परन्तु रेलवे कर्मचारियों को बोनस इस आधार पर नहीं दिया जा रहा क्योंकि वह विभागीय कमचारी हैं। यदि हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं तो श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेना ही होगा। इन कमचारियों ने उत्पादन बढ़ाया है और परिवहन साफधन से सुधार किया है। रेलवे के सभी कमचारियों को एक मास का बोनस दिया जाना चाहिए।

माननीय मन्त्री का यह दावा करना गलत है कि श्रमिकों के साथ सम्बन्ध अच्छे हैं। जो बातचीत दोनों संघों से आपकी हुई उससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक मामले में मतभेद पाया जाता है। इन संघों के प्रतिनिधियों ने सरकार की श्रम नीति की आलोचना की है। श्री अ० प्र० शर्मा और श्री प्रिय गप्त के भाषण पढ़ने से भी मालूम होगा कि सरकार की श्रम नीति को रेलवे कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त नहीं है। अभी १०,००० रेलवे कर्मचारियो ने संसद् भवन के समक्ष प्रदर्शन किया और अपनी मांगें रखीं। आवधिक बातचीत मशीनरी भी उनकी समस्याओं का समाधान करने में असफल रही है और मध्यस्थता से भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण रेलवे एवं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के कर्मचारियों के दोनों संघों को मान्यता दी जानी चाहिए। केवल ऐसे संघों को ही मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जो प्रशासन के पक्ष में रहती हैं।

मन्त्री महोदय ने निवत्ति वेतन की जो नयी पद्धति लागू की है उसे देख कर हमें प्रसन्नता हुई है। मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी इस पद्धति की सीमा में लाया जाय।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी कर्मचारियों को नौकरी में बहाल किया जाय। उच्चतम न्यायालय द्वारा रेलवे कर्मचारी आचरण नियमों के नियम १४८ और १४९ को रद्द कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी कर्मचारी को बिना कारण दिखाये सेवा से अलग किया जा सकता था। इसलिये जिन कर्मचारियों को इस प्रकार सेवा से अलग किया जा चुका है उन्हें फिर से सेवा में बहाल किया जाना चाहिए।

जिन क्वार्टरों के लिये पहले २, ३ अथवा ४ रुपये किराया लिया जाता था, अब बढ़ा कर १५, १८ अथवा २० कर दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। इसके अतिरिक्त कुछ स्टेशन मास्टरों आदि से,जिन्हें किराये के बिना क्वार्टर मिले हुए थे, जब से उन्हें क्वार्टर मिले हुए हैं तब से किराया मांगा जा रहा है जो ३,००० अथवा ४,००० रुपये तक बनता है। यदि ऐसा किया गया तो वह लोग तबाह हो जायेंगे।

मन्त्री महोदय का यह कहना कि रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें दी जाती हैं,सच नहीं है। यह सच है कि अस्पतालों के लिये शानदार भवन बन गये हैं,ये भवन बाहर से अच्छे अवश्य दिखाई देते हैं किन्तु इनमें रोगियों के लिये औषधियां नहीं हैं। इसका कारण पूछने पर बताया जाता है कि औषधियां कम मात्रा में प्राप्त होती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या डाक्टरों की भी कमी है ?

श्री नम्बियार : निस्सन्देह। एक अस्पताल में केवल एक या दो डाक्टर होते हैं। इन अस्पतालों का प्रयोग धन लेकर रेलवे कर्मचारियों को छट्टी दिलाने के लिये किया जाता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये माननीय मन्त्री जी को उचित कदम उठाने चाहिएं।

रेलवे मंत्री (श्री दासप्पा) : माननीय सदस्य किस अस्पताल की बात कर रहे हैं ?

श्री नम्बियार : मैं रेलवे के सारे अस्पतालों के बारे में कह रहा हूं। न अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार तथा औषधियों का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्रोत्साहन संबंधी योजना सफल हुई है किन्तु मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इससे उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु साथ साथ बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं। इस योजना से रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति में अवरोध आ गया है तथा बहुत से वर्कशाप असफल सिद्ध हुए हैं।

प्रोत्साहन संबंधी योजना का मुख्य उद्देश्य वर्कशापों के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादों की किस्म में सुधार, उत्पादन में गति पैदा करना होना चाहिए था जिससे चलती रेल गाड़ियों खराबी के कारण मार्ग में खड़ी न होने पायें, जो पूरा नहीं हो पाया है। इसलिये इस योजना के चालू होने से पहले अधिक संख्या में जो रेलवे कर्मचारी कार्य कर रहे थे उन्हें फिर रखा जाये। कर्मचारियों की पदोन्नति में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए। जिस प्रयोजन के लिये प्रोत्साहन संबंधी योजना चालू की गई थी वह पूरा नहीं हो पाया है। इसलिये मंत्री महोदय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

तीसरी श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधायें अवर्णनीय हैं। इन असुविधाओं को दूर करने के लिये तीसरी श्रेणी में और अधिक सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन डिब्बों में अधिक संख्या में यात्रियों के बैठने तथा सोने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिक दूरी तक जाने वाली रेलगाड़ियों में कैरियेज लगाये जाने चाहिएं।

[श्री नम्बियार]

दक्षिण रेलवे बहुत बड़ी है, इसलिये इसका कर्य समुचित ढंग से नहीं किया जा सकता है । जबतक इसको भागों में नहीं बांटा जाये तब तक दक्षिण रेलवे परिवहन इतने अच्छे ढंग से नहीं चल सकता है जितना हम चाहते हैं। हम इस कार्य में सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं ताकि यह कार्य गतिपूर्वक किया जा सके।

रेलव दुर्घटना संबंधी कुंजरू समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि परिवहन तथा अन्य विभागों में कर्मचारियों की कमी के कारण रेलवे की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस कमी को दूर करने के लिये और कर्मचारी लिये जाने चाहिएं। हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव हो सकता है किन्तु जन शक्ति का नहीं। इसलिये रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारियों के अभाव में रेलवे की कार्यक्षमता कम न हो।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, सभा में विचार के लिये पेश किया गया बजट बहुत ही आशाजनक और प्रभावशाली है। देश के सभी समाचारपत्रों ने इसकी प्रशंसा की है और माननीय मंत्री जी को इस प्रकार के बजट तैयार करने के लिये धन्यवाद दिया है। किन्तु मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

प्राय: सभा में स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि वे सरकार की प्रत्येक नीति का विरोध करते हैं। इस संबंध में मैं पार्टी की नीति के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा मूल सिद्धान्त यह है कि प्रजातंत्र और समाजवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं ; हमारी पार्टी प्रजातंत्र को मानती है । सरकार जब प्रजा तंत्र और समाजवाद की बात एक साथ करती है तो हमारा मतभेद हो जाता है।

हमारी रेलवे संसार की सबसे बड़ी रेलवे है। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा उद्योग है। इससे राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग राष्ट्रीय कोष में आता है। इसलिए सरकार को इस ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय का बहुत अभाव है। सरकार की नीति से पता चलता है कि वह रेलवे के साथ अपनी परिवहन पद्धति के आर्थिक ढांचे में सबसे अधिक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। भारत के अन्य परिवहन साधनों अर्थात् सड़क-परिवहन, अन्तर्देशीय जल परिवहन और नौ परिवहन की उपेक्षा की गई है। आज देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों के समन्वय की समूची समस्या पर मूल रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि एक ऐसी नीति अपनाई जा सके जिसमें सड़कों, अन्तर्देशीय जलमार्गों, तटीय नौवहन आदि परिवहन के साधनों को उचित स्थान मिल सके और रेलवे के साथ साथ नका भी विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

रेलवे में लेखापालन भी उचित ढंग से नहीं होता है। लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समितियों के अपने प्रतिवेदनों में रेलवे के लेखापालन की कटु आलोचना की गई है। समितियों ने इन कमियों के दूर करने के उपायों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। सभा में प्रस्तुत किये गये बजट के आंकड़ों, विशेष रूप से राजस्व प्राक्कलन के आंकड़ों, का कम अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार की त्रुटियां प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती हैं। सरकार को इन त्रुटियों को दूर करने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं।

वर्ष १९६२-६३ से सामान्य कार्यकरण संबंधी व्यय में जो अनुचित वृद्धि होती जा रही है वह निराशाजनक है। वर्ष १९६४-६५ में होने वाले इस व्यय के प्राक्कलनों में

२१ करोड़ रुपये की और वृद्धि की गई है। यदि इसी प्रकार भविष्य में यह वृद्धि होती रही तो रेल का किराया तथा मालभाड़ा भी बढ़ता जायेगा। व्यय पर इस प्रकार का अनियंत्रण सराहनीय नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे तथा कार्य-करण पर होने वाले व्यय पर सावधानीपूर्वक और अधिक नियंत्रण द्वारा इस व्यय में बचत करने के प्रयत्न करे।

प्रस्तुत बजट में जो भाड़ा अधिकार बढ़ाने की व्यवस्था की गई है वह निराधार है। इसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस वृद्धि से वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जायेंगे और लोगों को कठिन आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस पर सभा तथा समस्त देश में चिन्ता व्यक्त की गई है। सरकार को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनः विचार करना चाहिए तथा इस अधिकार को वापस लने की व्यवस्था करनी चाहिए।

यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जनता अथ भार से दब जायेगी जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं

बजट भाषण में बताया गया है कि रेलवे बड़ी कार्यकुशलता से कार्य कर रही है। समाचार पत्रों ने भी इसकी बड़ी सराहना की है। किन्तु यदि इस संबंध में ध्यानपूर्वक विचार किया जाये तो हमें इसमें दो बातों का अभाव दिखाई देगा। एक तो आर्थिक विकास में आशाजनक प्रगति नहीं हो पाई है। दूसरे माल के लदान प्रस्तावों में कमी होती जा रही है। रेलवे में हुई प्रगति का वास्तविक परीक्षण तभी होगा जबकि मंत्री महोदय भविष्य में बिगड़ने वाली आर्थिक प्रगति को सुधारने के लिये तत्परता ही नहीं अपितु कुशलता भी दिखाये और देश में प्रतिरक्षा की बढ़ती हुई गतिविधियों से रेलवे संबंधी सेवाओं की मांगों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। एक बात में, इस सबंध में और कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को विश्व बैंक के विचारों को—जिनकी उन्होंने बजट भाषण में चर्चा की है—, पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सभा के सामने रखना चाहिए था।

यात्रा संबंधी सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ की समस्या—विशेषतः तीसरी श्रणी के डिब्बों में—बड़ी गंभीर है। मंत्री महोदय को इस समस्या को हल करने के लिये शीघ्र उपयुक्त कदम उठाने चाहिएं। यात्रियों क रेलगाड़ी में स्थानों के आरक्षण में जो चोरबाजारी चल रही है उसे रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिये पूरा डिब्बा आरक्षित न किये जायें जिससे अन्य यात्रियों को भी बैठने का अवसर प्राप्त हो सके।

रेलगाड़ियों में यात्रा करने वालों के लिये भोजन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यात्रियों को, दिये गये मूल्य के बदले में, अच्छा भोजन मिलना चाहिये। इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने से यह एक गंभीर समस्या बन गई है। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण रेलवे कर्मचारियों में कुशलता की कमी है। इस कमी को दूर करन के लिये गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिये हमें भावुकता की अपेक्षा वास्तविकता को अधिक महत्व देना होगा। रेलवे सेवाओं में जाति अथवा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिये स्थान आरक्षण की पद्धति समाप्त की जानी चाहिए। प्रतियोगिता के आधार पर कर्मचारियों का चनाव होना चाहिय जिससे कुशल कर्मचारी मिल सकें।

[श्री कपूर सिंह]

रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिये सरकार जनता को दोषी ठहराती है। सड़क का प्रयोग करने वालों को सतर्क रहने के लिये कहा जाता है। सरकार को इस प्रकार का कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में उचित व्यवस्था करनी चाहिये। यह मानवीय समस्या है। इसे सुलझाने के लिये धन संबंधी और प्रशासनिक कठिनाइयां बाधक नहीं होनी चाहिएं। मेरा अनुरोध नर कि रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाएं रोकी जायें।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : मैं स्वयं गरीब व्यक्ति हूं और गरीबों के प्रति मेरी पूर्ण रूप से सहानुभूति है। वैसे भी हम सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं। हमारे देश में रहने वाले ४४ करोड़ लोगों को एक ही प्रकार का स्थान प्राप्त होना चाहिए। कुछ दिन हुए डा० लोहिया ने यह बात उठाई थी कि हमारे देश के ७० प्रतिशत लोग ७ आना प्रतिदिन कमाते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ अत्योक्ति हो परन्तु यह तो है न कि धन का वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। परन्तु रेलवे कर्मचारियों की ओर तो मंत्री महोदय स्वयं ध्यान दे रहे हैं, अतः साम्यवादी दल को उसके लिए किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस दल की ओर से इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय। हमें अपनी आलोचना का डर नहीं, परन्तु हम अपने कर्तव्य का पालन बराबर करते रहेंगे।

रेलवे आय व्ययक के बारे में मेरा निवेदन है कि इस वर्ष का आय व्ययक गत वर्षों के मुकाबले में काफी अच्छा रहा है। मैं विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे बाद बहुत से वक्ता इसका उल्लेख करेंगे। मुझे केवल इतना ही कहना है कि इसका श्रेय हमारे मंत्री महोदय को है, जो कि अपने देश के प्रति किये बलिदानों के कारण ही इस स्थिति में पहुंचे हैं। गत २० वर्षों की देश की आर्थिक प्रगति तथा इससे पूर्व भारत की स्वतन्त्रता संग्राम में उनका अंशदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु मुझे केवल इस बात का खेद है कि रेलवे के विकास के बारे में योजना आयोग ने दूरदर्शी योजना नहीं बनाई। रेलवे बोर्ड ने भी देश की आवश्यकताओं को समक्ष रख कर कार्य नहीं किया है।

मैं बहुत से देशों में यात्रा पर गया हूं, कहीं भी छोटे गेज की रेलवे नहीं। सभी औद्योगिक रूप से प्रगति कर रहे देशों में समान गेज की रेलवे हैं। हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों ने अपने हित को दृष्टि में रख कर यहां तीन गेज चालू किये थे। उनका उद्देश्य तो यह था कि हमारा देश अधिक औद्योगिक अथवा आर्थिक प्रगति न कर सके और हर बात के लिए उन पर निर्भर रहे। मेरे विचार में इन तीन गेजों को चालू रखना उचित नहीं है। उनसे लाभ होने की तो कोई सम्भावना नहीं, हां, हानि अवश्य हो रही है। मेरा निवेदन है कि अब देश में समान गेज की रेलवे को चालू करने का उत्तरदायित्व योजना आयोग तथा रेलवे मंत्रालय का है। मेरे विचार में तो रेलवे के व्यवस्था करण का कार्य प्रथम योजना के अन्तर्गत ही आरम्भ हो जाना चाहिए था। इस दिशा में देश की आवश्यकताओं को पूरी आधी शताब्दी के बाद देखा जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि इस लम्बे अर्से में केवल कमियों की ओर ही ध्यान जाता रहा है।

मेरा यह भी निवेदन है कि दुर्घटनायें कम हों इस दृष्टि से भी बड़ी लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री बार बार कहते हैं कि हम अणु शक्ति यग में निकल रहे हैं, तो हमें

कम से कम अपनी रेलवे का निर्माण तो इंगलैण्ड और अमरीका के अनुरूप करना चाहिए। इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को अवश्य ही यह निर्णय कर लेना चाहिये कि आगे से जो भी लाइन बनाई जायेगी वह बड़ी लाइन होगी। भारत के हर स्थान पर रेलवे का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए इस कारण भी कि देश में कोयले की कमी है, और रेलवे की आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त हमें अपने उद्योगों के विकास के लिए भी कोयला चाहिए। हमें रेलवे पर कोयला नष्ट नहीं करना चाहिए।

हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि रेलवे सब से बड़ा सरकारी उपक्रम है। इसका देश के आर्थिक तथा औद्योगिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि रेलवे मंत्री को योजना आयोग का स्थायी सदस्य बनाया जाय। क्योंकि रेलवे के मामले में तो आदि से अन्त सब बातें अन्तोतगत्वा वही करते हैं। मैं अन्त में तीनों मंत्रियों को अपील करता हूं कि वे उपरोक्त निर्णय प्रभावी ढंग से तुरन्त करें ताकि लोग उन्हें याद करते रहें।

श्री भागवत झा आज द (भागलपुर) : श्री दासप्पा उन कुछ रेलवे मंत्रियों में हैं, जिन्हें ऐसा सन्तुलित आ य व्ययक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसकी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भी बुरी नहीं रही। मौलिक तथा वित्तीय लक्ष्यों को ठीक ढंग से रखा गया है। रेलवे मंत्री की इस घोषणा का स्वागत है कि अब रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन करेगी। परन्तु स्वागत करते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस घोषणा पर उचित दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये। बात यह है कि लगभग डेढ़ वर्ष हुआ भूतपूर्व रेलवे मंत्री जी ने यह कहा था कि रेलवे सभी प्रकार के माल का परिवहन नहीं कर सकती। इसके लिए जो ऐसा कर सकते हैं उन्हें कहा जायेगा। आज स्थिति बदल गयी है। इस स्थिति में जो अचानक परिवर्तन आ गया है उसका यह कारण नहीं है कि दो वर्ष पूर्व रेलवे इस कार्य को करने में अयोग्य थी और अब एकाएक उसके योग्य हो गयी है। बात इससे बिल्कुल भिन्न है रेलवे की समृद्धि का कारण यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस बात को बड़े बड़े अर्थ शास्त्रियों और स्वयं प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है। अवस्था यह है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अतः इस परिस्थिति में उस मात्रा में यातायात को वहन करने का उत्तरदायित्व नहीं मिल सका जितना कि मिलना चाहिये था। लक्ष्यों को भी कम कर दिया गया है और विभिन्न कार्य कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कमी हुई है। अतः तीसरी योजना में हमें भी यह समझ में आ सकता है कि जहां तक अन्य क्षेत्रों में प्राप्त लक्ष्य बाकी हैं वहां रेलवे के प्राप्य लक्ष्य भी बाकी हैं। अतः मंत्री महोदय ने जो चित्र प्रस्तुत किया है वह सही स्थिति नहीं है। लगभग यही स्थिति रेलवे की चालन योग्यता के बारें में है जिसका दावा रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है।

इसके अतिरिक्त अनुपूरक माल भाड़ा दो प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। यह बात यद्यपि बहुत अच्छी प्रतीत होती है परन्तु मेरा विचार है कि इस दो प्रतिशत को रेलवे प्रशासन में मितव्ययता करके प्राप्त किया जा सकता था। इसके लिए भाड़े में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रेलवे प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता का अभाव है, यह दावा कि संचालन कुशलता में सुधार से पूंजी विनियोजन में मितव्ययता हुई है, बड़ी चढ़ी बात है और यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य यह है कि खर्च काफी बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में रेलवे मंत्री महोदय द्वारा कोई पग उठाया जाना चाहिए, विशेष रूप में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए तो खर्च वैसे भी कम होने ही चाहियें मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्री को रेल सड़क समन्वय के प्रश्न पर

[श्री भगवत झा आजाद]

भी उचित रूप से विचार करना चाहिए। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उपभोक्ताओं को जो सुविधायें दी गयी हैं, वे तो सराहनीय है, परन्तु इसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयंकर हो सकती है। इससे सड़क परिवहन बिलकुल तबाह हो जायेगा।

बात मनोरंजक है, परन्तु मुझे शिकायत है कि मंत्री महोदय सदस्यों के पत्रों का कोई उत्तर नहीं देते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को यह भी देखना चाहिये कि संसद सदस्यों के पत्रों और सुझावों की भली प्रकार प्राप्ति सूचनाएं दी जायें और उनके ठीक उत्तर दिये जायें। यात्रा करने वाली जनता को अधिक सुविधाएं देना रेलवे प्रशासन का प्रमुख कर्त्तव्य है। इसको उन दूरवर्ती स्टेशनों की आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान देना चाहिये जो दूरवर्ती गांवों और पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वहां रेलवे लाइनों के विस्तार के बारे में कई बार मांग की जा चुकी है। बोसी मन्दिर हिल से देवघर पिरपैंटी से दुमका, बयूल से हावड़ा तक रेलवे लाइनें बनाई जायें।

Shri R. S. Pandey (Guna): Before I express any opinion on the Railway Budget, I must congratulate the Railway Minister, his other colleagues and the Officials of the Ministry. If we go back to the history of Past 110 years, we may find that what we are getting to day through the medium of Railway was never available to the general Public at any time. There was a time when we used to reach Bombay by bullock carts in months. But today the whole position has changed. Today the entire comprehensive picture of the future of Railways is before us. I am of the opinion that the progress that the Railways have made according to the resources available, is very remarkable. It is, however, hoped that this progress should continue. At present Railways cover 36 thousand miles.

I make an humble submission to the Government that the question of providing more amenities to the passengers. Railway should also play their vital role effectively and successfully in the various spheres of the defence of the country. Railways have great hand in bringing the peoples of different regions together. It works as a medium for bringing different cultures at a Cammon centre. Undoubtedly railways play an important role in bringing about, the economic progress, the social advancement and emotional integration in the country.

Railways occupy the most important position in the Public Sector enterprises. The Railway budget is divided into 2 parts. One deals with passengers and the other with goods. It is estimated that we will have an income of Rs. 22 crores from the first and second class passengers. Rs. 162 crores will come from the 3rd class passengers. This has been the history of the Railway Budget in the past, that every time the fares had increased. I request the Railway Minister to find some way whereby a sy mbolic reduction in the passengers' fares may be effected. In this way the fear of masses that Government always tries to impose burden of higher taxes and has no soft corner for the people may be dispelled. We should bear it in mind that it is the poor alone who travel by railways. Rich people travel by air. The railways have given the income of 365 crores from the government, and the position is much better as compared to the position of the last years. Therefore, it is requested that Railway administration should consider the matter of reducing the fare by five rupees for every thousand kilometres.

As far as Railway travel is concerned I would like to submit that the number of booking counters on the stations is not commensurate with the needs of the

people with the result that they always remain thronged. To secure a ticket is not less than an ordeal for a passenger and to secure a seat in the compartment is even much more difficult. I would like to suggest that the number of passengers in a compartment should not be allowed to exceed the number of seats in that compartment. At present so many passengers, far more than its capacity permits, can be found sitting in a single compartment. Villagers, especially, find it quite a problem to board a train as both their hands are usually engaged with *lathi* in one hand and the *lota* in the other, so that more often than once they miss their train. The passengers already sitting in the compartment are found to be uncharitable in as much as that they lock the door from inside and would not let the outsiders come in. I want that whatever is possible should be done to inculcate discipline in the passengers. The tickets in excess of the number of the seats should not be booked. The capacity of passenger trains should be incuased and added facilities should be provided to the passengers.

About the Railway catering the Na ional Nuitritional Advisory Committee have pointed out in their report that the food supplied by the private caterers is deficient in nuitritional value. Steps should be taken to see that the food given to the passengers is nuitritive, freshly prepared and tasty.

I would like to add few more words about sleeping coaches. It is commonly heard that one can easily get a sleeping birth if the greases the pump. These sort of things need to be corrected. If there is any administrative lacunae which enables people to secure sleeping berths by illegal gratification it needs to be removed. You have to take strict measures to remove this feeling prevalent among the people that no one can get a seat booked unless he bribes. If necessary mobile magistrates should be appointed on the platforms to eliminate any chance of corruption whatsoever. As has been said by the Railway Minister 5 million people participate every day in Railways operations which is said to be the biggest undertaking of the country. If a person, who is led to bribe to secure whatever he wants, tells his countrymen about the experience he had, it creates an unpleasant feeling amongst the people against their Government. If corruption prevails in this field it would be far from possible to remove it from our social life and it would be a sort of stigma on the part of administration, Railways and Ministers and on the part of other officers.

Again, I would like to draw the attention of the Railway Minister to the late running of the trains. The reasons underlying this sort of irregularity should be sought and removed.

I want to put forth some suggestions about Madhya Pradesh whose boundary touches that of five or six other states. There are some important places in that state where Railways have not yet entered. One takes five days to travel from Gwalior to Bustar. How could we transit train Steam to Diesel and from Diesel to Electric age with this pace if it takes five days to travel between two points of the same state ? The narrow gauge train running between Gwaliors and Shiv puri mves with such a slow speed that one can alight from the moving train in the way to its journey, can have his meals and then, again catch the same moving train safely.

Further, I would like to know what decision has been taken on the proposal to create a new zone with Raipur or Bilaspur as its Headquarter and the proposal regarding a second rail train from Gwalior to Guna.

I will stress one more point. It would be better from the point of view of administration as well as of efficiency if existent 8 zones are increased to 12.

In the end I would like to submit that it would be much appreciated if the fare of Rs. 5 per thousand kilometre a third class passenger has to pay is reduced to same extent.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मैंने अत्यन्त विचारपूर्वक रेलवे आयव्ययक का अध्ययन किया है। रेलवे में कुल २१४८ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। इस पर १.७९ प्रतिशत की आय प्राप्त हुई है। यह कोई अधिक नहीं है। यदि ६ प्रतिशत आय होती तो भी कुछ बात थी। मुझे विश्वास है कि रेलवे इसके लिये प्रयत्न करेगी।

श्री कपूर सिंह ने रेलवे फाटकों पर चौकीदार न रखे जाने के सम्बन्ध में आलोचना की है। मैं उन की इस बात से सहमत नहीं हूं। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि ट्रकों के साथ ही रेलवे की टक्कर क्यों होती है। क्या ड्राइवर शराब पिये हुए होते हैं। मैं यह नहीं कहता सारे फाटकों पर चौकीदार रखे जायें। दुर्घटना ऐसे फाटकों पर भी हो सकती है जहां हो कर कभी कभी ही कार या मोटर गाड़ियां गुजरती हैं।

मैं चाहता हूं कि वे विकास के लिए सामान्य राजस्व से धन न लें अपितु वे स्वयं आत्मनिर्भर बनें।

रेल भवन में एक सतर्कता विभाग है। जिस पर २०,००० रुपये प्रति माह खर्च किया जाता है। उन्होंने एक वर्ष में विशेष पुलिस स्थापना के पास केवल दो मामले भेजे हैं और १११ के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की है। मैं नहीं समझ पाता कि यह विभाग क्या कर रहा है। इसे बन्द कर दिया जाये। आवश्यकता की पूर्ति के लिये खण्ड स्तर पर पर्याप्त मात्रा में सतर्कता-विभाग का कार्य होता है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पासलों के ढेर पड़े रहते हैं। इससे यात्रियों को आने-जाने में काफी असुविधा अनुभव होती है। प्लेटफार्मों पर पार्सल चुराये जाने की सैकड़ों घटनायें होती हैं। अधिकतर फलों के पार्सल होते हैं जो रेलवे कर्मचारियों के घर पर पहुंचा दिये जाते हैं।

तुगलकाबाद स्टेशन पर काफ़ी बड़ी मात्रा में रेलवे राजस्व की चोरी होती है। मैंने गत वर्ष भी इस बात के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

चीनी मिल मालिकों द्वारा चीनी के लादे जाने के सम्बन्ध में भी यही बात होती है। अधिक माल लाद दिया जाता है। किसी विशेष स्थान तक का ही भाड़ा लिया जाता है। इस से चीनी की चोर बाजारी होती है और इस प्रकार विक्रय कर और आयकर की चोरी होती है।

इसके अतिरिक्त झूठे बिल तैयार किये जाते हैं जबकि कार्य नहीं होता। गोधरा-रतलाम सैक्शन के कार्य में यही बातें हो रही हैं। इस से राजस्व में करोड़ों रुपये की हानि होती है।

रेलवे प्रशासन में एकरूपता लाने का कार्य रेलवे निदेशालय का है। किन्तु दुर्भाग्य से रेलवे के विभिन्न एककों, खंडों अथवा डिवीजनों में परस्पर समन्वय नहीं है। उदाहरणार्थ यदि एक डिवीजन की कोई ट्रेन ५ मिनट देरी से पहुंचती है तो दूसरे डिवीजन की, उस ट्रेन की सवारी ले कर जाने वाली ट्रेन, उस की प्रतीक्षा नहीं करती।

जोधपुर से दिल्ली आने वाली ट्रेन उत्तर रेलवे के कम दूरी वाले मार्ग पर चल सकती है किन्तु इसे लम्बे मार्ग पर चलाया जाता है। इस प्रकार जनता के धन का अनावश्यक रूप से अपव्यय किया जाता है।

कई बार मैंने निवेदन किया है कि रेलवे कर्मचारियों पर से पुलिस के आतंक को समाप्त कर दिया जाये। एक स्टेशन पर मैंने देखा कि फेरी वाले ट्रेन में सामान बेच रहे हैं। एक स्टेशन मास्टर ने उन्हें रोका। तीसरे दिन उसके लड़के को जो उससे मिलने आया था पकड़ लिया गया

और बिना टिकट यात्रा करने का अभियोग लगा कर बड़ौदा में एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। फुलेरा स्टेशन पर इस प्रकार के १४ व्यक्ति पकड़े गये थे जिन के सम्बन्ध में पुलिस ने यह कह दिया कि यह हमारे आदमी हैं। और फिर ६ टिकट निरीक्षकों को पकड़ कर पुलिस के एक सब इन्सपैक्टर के सामने ले जाया गया जिसने उन से कहा कि "बन्द कर देगा। हम राजा है तुम नहीं। यह स्टेशन हमारा है। जो लोग जनता के हित के लिये कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी पुलिस नहीं करने देती।। इस सम्बन्ध में राजस्थान की पुलिस सबसे आगे है।

रेलवे कर्मचारियों का एक रेलवे मिनिस्टर कोष है जिसमें से गरीब कर्मचारियों की सहायता के लिये और कभी-कभी सुरक्षा कोष के लिये धन दिया जाता है। किन्तु एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लड़के को पढ़ने के हेतु विदेश भेजने के लिये इस में से ७,५०० रुपये दिये गये थे। ऐसा किया जाना अनुचित था।

डी लक्स ट्रेनों में बड़े बंडल ले जाने की अनुमति नहीं ; फिर भी इस में बड़े-बड़े बंडल ले जाये जाते हैं और यात्रियों के आने जाने में मुसीबत होती है। यह प्रशासन का दोष है।

रेलवे के कारण प्रतिवर्ष ६००० मृत्यु होती हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : नहीं। १९६२-६३ के पूरे वर्ष में यह संख्या १२९ थी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरे पास पुस्तक है जिस में यह सख्या ५९८४ बतलाई गई है।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : यह कौन सी पुस्तक है ?

श्री उ० मू० द्विवेदी : १९६२-६३ के लिये भारतीय रेलवे के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड का प्रतिवेदन।

अब मैं रेलव कर्मचारियों की कठिनाइयों का उल्लेख करूंगा। स्टेशन मास्टर रेलवे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। छोटे स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर ही सब कुछ हैं। अग्रेजों के समय में छोटे स्टेशनों के स्टेशन मास्टर से निवास स्थान का किराया नहीं लिया जाता था किन्तु अब उन से १६ या २० रुपये किराया लिया जाता है जबकि वहां गांव में उन्हें आठ-दस आने अथवा एक रुपया प्रति माह पर मकान मिल सकता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें अन्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ लोगों को वेतन वृद्धि भी नहीं मिलली है।

मध्य और उत्तर रेलवे में अंग्रेजों के समय से ही एक पद्धति चालू है कि उच्च वेतनक्रम पर बाहर के आदमी रख लिये जाते हैं और स्टेशन मास्टरों का वेतन २२५ रुपये से आगे नहीं बढ़ पाता। यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में ऐसा ही सुझाव दिया था। जब अन्य रेलवे पर यह प्रथा समाप्त कर दी गई है तब क्या कारण है कि इन दो रेलवे पर नहीं की जा सकती ?

गार्डों का वेतन २८० रुपये पर ही समाप्त हो जाता है। उन के लिए इस से आगे उन्नति करने का कोई मार्ग ही नहीं है। उन्हें रात्रि भत्ता भी कहीं मिलता जबकि बुकिंग क्लर्कों और ट्रेन निरीक्षकों को मिलता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि तत्संबंधी परिपत्र में यह कहा गया है कि रेलवे प्रशासन कार्मिक संघों के परामर्श से यह निर्णय करेगा कि अन्य किन श्रेणियों के लोगों को रात्रि भत्ता दिया जाये। इस प्रकार जो लोग संघ में नहीं हैं उन्हें भी संघ में सम्मिलित होने पर बाध्य किया जाता है।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

अनुदानों की मांगों में जो आवटन पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत किया जाना चाहिये था वह मध्य रेलवे के अन्तर्गत किया गया है। रेलवे बोर्ड की भलीभांति विदित होगा कि अब कोटा-बीना सैक्शन और उज्जैन-भोपाल सैक्शन पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार की आज्ञानता की कई बातें होती हैं।

तीसरी लोक सभा की लोक लेखा समिति के पहले प्रतिवेदन में अपव्यय के कई उदाहरण दिये गये हैं। पृष्ठ ८३ पर कहा गया है :

> "हली शहर के पास एक साइडिंग का प्रयोग १९४७ से होता चला आया है। १९५३—५७ के सर्वेक्षण से पता चला कि २८,००० रुपये के मूल्य की रेलवे पटरी की चोरी हुई। १९५० और १९५७ के बीच में वहां से १.५६ लाख के मूल्य के पुर्जों की चोरी हुई।"

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं।]

[DR. SAROGINI MAHISHI *in the Chair.*]

ऐसी बातों को रोका जाना चाहिये। बिना टिकट यात्रा को भी हम नहीं रोक पाये हैं जबकि हम तत्सम्बन्धी कर्मचारियों पर २८० लाख रुपये खर्च कर रहे हैं और उस से आय केवल २२४ लाख रुपये है।

रेलवे मंत्री ने कहा है कि फुटकर पार्सलों के वहन के सम्बन्ध में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि इस की कार्यान्विति हो जाये तो बहुत अच्छी बात है।

हर वर्ष यह होता है कि एक लाख, दो लाख या तीन लाख स्लीपर काश्मीर से बह कर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां से हमें कुछ नहीं मिलता। ढिलावां में एक बड़ा अग्निकांड हो गया था। रेलवे बोर्ड ने भी यह कहा था कि यह तोड़-फोड़ का मामला है ; किन्तु उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस के अतिरिक्त यह बात भी समझ में नहीं आती कि भारत में स्लीपर सस्ते उपलब्ध होते हैं फिर भी वे अधिक दामों पर अमरीका से क्यों मंगाये जाते हैं। आपातकाल के इन दिनों में रुपये का इस प्रकार अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Though 85 per cent revenue of the railways comes from third Class passengers, yet the Government has failed to provide them the necessary amenities. Overcrowding on the trains has not eased. On the wayside stations adequate sheds have not been provided. The travelling pubic is, thereofre, exposed to the vagaries of nature *e.g.*, rains, scorching heat and shivering cold. The railway budget shows some surplus. The Railway ministry should therefore, make some attempts in this direction.

Drinking water facilities have also not been provided. I have a suggestion to make in this connection. All the third class compartments should be linked internally and arrangements for drinking water may be made at one place. It will also help in checking crimes like dacoities and murders in the trains, and thereby add to the security of the passengers. The third class bogies in a train do not occur at one place, they are scattered. I suggest that all the third class bogies in a train should be jointed one after the other in a chain. It will facilitate the passengers to get into a train without running from one end of the train to the other.

The production of diesel locomotives and electric locomotives is not progressing according to schedule. They are very useful from the point of view of speed, and health of the passengers. Steps to step up production of electric locomotives should be taken in right earnest.

Those who travel in first class are provided with sleeping berths if they travel in the night. On the other hand, the railways do not guarantee even sitting accommodation in the night to third class travellers. When we are taking of democratic socialism we should make serious efforts to give it a practical shape. The local trains do not carry enough passengers. I venture to suggest that some of the bogies from the local trains should be added to long-distance trains to ease overcrowding.

There is heavy traffic on some of the level crossings. Much precious time is wasted on such level crossings. To avoid this situation I would plead with the Railway Minister to see to it that an under-bridge or an overbridge is provided on such level crossings. The areas where mineral deposits are found in abundance should be connected by rail with sea coast other parts of India to facilitate their movements.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

The divisional superintendents and General Managers are not in a position to exercise effective supervision in the area of their operation. I suggest the creation of some posts at the district level to help them in their work.

Railways should pay at least one month's pay as bonus to their employees to serve as an incentive for hard work. In a commercial department like the Railways this provision should be an absolute neoessity.

श्री अ०प्र० शर्मा (बक्सर) : मैं रेलवे मंत्री को लाभ वाला आयव्ययक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं । यह भी प्रसन्नता की बात है कि भाड़ा दरों तथा यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह आयव्ययक भाषण भी गत वर्षों के भाषणों की तरह एक घिसा पिटा भाषण है । इसमें रेलवे में काम कर रहे १२ लाख कर्मचारियों की दशा को सुधारने सम्बन्धी उपायों का कोई उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त चार लाख सामयिक कर्मचारी भी हैं जिन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं दिया जाता है । कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रहन-सहन की लागत में वृद्धि के साथ सम्बद्ध करने की द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के बावजुद केवल २ से ५ रु० की तुच्छ वृद्धि की गई है । वृद्धि यदि इससे ज्यादा भी होती तो कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि कीमतें इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि कितना भी महंगाई भत्ता उसकी बराबरी नहीं कर सकता । सब से उत्तम तरीका यही होगा कि रेलवे पर अनाज की दुकानों की पद्धति पुनः आरम्भ की जाये जहां खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं कर्मचारियों को उचित मूल्य पर दी जायें ।

रेलवे में प्रोत्साहन योजना संतोषजनक ढंग से नहीं चली है । रेलवे प्रशासन तथा श्रमिकों में जिन बातों पर समझौता हुआ था उनमें से कोई भी ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हुई है । उच्च स्तर के स्थान नहीं भरे गये हैं तथा वेतन में उतनी वृद्धि नहीं की गई है जितनी की जानी चाहिये थी । मेरा विश्वास है कि रेलवे मंत्री का ध्यान प्रोत्साहन योजना के कार्यकरण की ओर नहीं गया है ।

[श्री अ० प्र० शर्मा]

१९५५ में रेलवे बोर्ड तथा राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ के बीच जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिये प्राथमिक स्कुलों की स्थापना का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था। परन्तु इस वर्ष केवल १६ स्कुल और खोले गये हैं। अत: मेरा निवदन है कि पुराने आंकड़ों को दोहराने की बजाय रेलवे प्रशासन को और अधिक स्कूलों की व्यवस्था करने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

जहां तक स्थायी विचार-विमर्श व्यवस्था का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड स्तर तक तो वह संतोष-जनक कार्य कर रही है परन्तु कुछ रेलवे जोनों में यह संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही है। इसका पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उपक्रम होने के नाते रेलवे को एक आदर्श नियोजक बनने का प्रयास करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि नये रेलवे मंत्री गत ११० वर्ष के चली आ रही नीति में सुधार करने की दिशा में उचित कदम उठायेंगे। मकान किरायों मे तिगूनी, चौगुनी वृद्धि हो चुकी है। परन्तु मकान भत्ते में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। आशा है कि रेलवे बोर्ड मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ की मध्यस्थ-निर्णय की मांग से सहमत हो जायेगा।

दक्षिण रेलवे पर दूसरे श्रमिक संघ को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये। श्रमिकों का हित इसी में है कि प्रत्येक रेलवे पर एक ही संघ को मान्यता दी जाये। पूर्व रेलवे के लिलूआ वर्कशाप के कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई थी उसके पीछे बाहरी व्यक्तियों का हाथ था। रेलवे प्रशासन को उनके साथ उदारता दिखानी चाहिये और तालाबन्दी की अवधि को मजूरी उनको पुन: दे देनी चाहिये।

इन के साथ मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने सेवाकाल में रेलवे कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी नीति को नया रूप देंगे।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
Re: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

शिलांग में करफ्यू लगाये जाने तथा सेना बुलाये जाने की कथित घटना

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): आसाम सरकार ने सूचित किया है कि १८ फरवरी को सायंकाल के अंधेरे मे नोंग थिम्मै अम्पलिग क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। परन्तु उन्हें अपने घरों को लौट जाने के लिये रजामन्द कर लिया गया। लगभग उसी समय एक अन्य भीड़ ने लतुमखरा में एक पुलिस चौकी को आग लगा दी तथा पुलिस बीट हाउस पर पत्थर फैंके। एक आग बुझाने वाली गाड़ी बुलाई गई। इस गाड़ी को, जिसके साथ पुलिस की एक टुकड़ी भी चल रही थी, रास्ते में काफी बाधाओं को पार करना पड़ा फिर भी वह घटनास्थल पर आने में सफल हो गई। अन्दर जाने वाली एक सड़क को घेरे खड़ी भीड़ ने गाड़ी पर पत्थर फैंके तथा पुलिस की टुकड़ी पर तीरों की वर्षा की। अवैध रूप से जमा हुई भीड़ को पीछे हटाने के लिये कहा गया परन्तु भीड़ ने पुलिस की इस चेतावनी की परवाह नहीं की। अत: पुलिस को मजबुर हो कर भीड़ को पीछे हटाने के लिये गोली चलानी पड़ी।

जहां तक सेना के बुलाये जाने का सम्बन्ध है जिला मजिस्ट्रेट के कहने पर राज्य सरकार ने शिलांग में सेना अधिकारियों से पूर्वोपाय के तौर पर सेना के एक दस्ते को तैयार रखने के लिये

कहा था। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरन्त उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया था। सेना को अवैध भीड़ के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिये प्रयोग में नहीं लाया गया। उन्हें केवल प्रभावग्रस्त क्षेत्र की गश्त करने के लिये कहा गया था। जहां तक बड़ा बाजार क्षेत्र का सम्बन्ध है सेना को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस क्षेत्र की गस्त करने के लिये कहा गया था और एक मजिस्ट्रेट भी उनके साथ था। सेना की उपस्थिति इसलिये भी आवश्यक थी कि गैर-कानूनी तत्व सेना के होते हुए कर्फ्यू तोड़ने तथा अहिंसात्मक कार्य करने का साहस नहीं करेंगे। असैनिक अधिकारियों को उस क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने की पूरी स्वतंत्रता थी।

सेना राज्य सरकार के आदेश पर बुलाई गई थी और वास्तव में अवैध सभाओं को तितर बितर करने के लिये उसका प्रयोग नहीं किया गया। राज्य सरकार को सेना की सहायता लेने का पूरा अधिकार है। इस घटना से केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं था और न ही इसने आसाम सरकार को इस बारे में कोई सुझाव दिये थे। इसलिये इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या श्री स्वैल अब भी केन्द्र के उत्तर दायित्व के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री स्वैल (आसाम—स्वायत्तशासी—जिले) : यह तो राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी है। परन्तु शिलांग के एक एम० एल० ए० का तार मेरे हाथ में है जिसमें दिया हुआ है कि वहां सेना ने प्रबन्ध व्यवस्था संभाल ली है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही सेना ने वैसा किया हो।

श्री स्वैल : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : गृह-कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने स्वीकार किया है कि सेना का प्रयोग किया गया। सेना पर सीधा केन्द्र का नियंत्रण है। जब कभी भी असैनिक अधिकारियों की मदद के लिये सेना का प्रयोग किया गया है सभा में उस प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाती रही है। अतः मेरी राय में इस विषय पर इस सभा में चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे कोई ऐसा उदाहरण दे सकती हैं जोकि स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया गया हो ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे स्मरण है कि कलकत्ता में ट्राम के किराये में वृद्धि के फल-स्वरूप एक आन्दोलन हुआ था। उस समय भी सेना की सहायता ली गई थी। हालांकि वह स्थगन प्रस्ताव किन्हीं और कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था परन्तु सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उस समय सरकार ने यह दलील नहीं दी थी जो वह इस समय दे रही है। मेरा तात्पर्य यही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रही है अथवा यह उसकी जिम्मेदारी थी।

श्री दाजी (इन्दौर) : अपनी बात कहने से पहले, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कल जो वक्तव्य दिया था उसमें 'मजिस्ट्रेट' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। परन्तु आज के वक्तव्य में 'मजिस्ट्रेट' शब्द घुसा दिया गया है।

श्री बड़े (खारगोन) : राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सेना की सहायता लेने के लिये अनुमति मांगी थी। सेना केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन है। इसलिए हम इस स्थगन प्रस्ताव पर यहां चर्चा कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : गृह-कार्य मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सेना बुलाई गई थी। उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक अवैध सभाओं तथा उनको तितर बितर करने के मामलों का सम्बन्ध है ये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२७ से १३२ के अन्तर्गत आते हैं। धारा १२७ के अन्तर्गत असैनिक अधिकारी अवैध भीड़ को तितर बितर करने के लिये किसी भी नागरिक की सहायता ले सकते हैं। धारा १२८ के अन्तर्गत यदि अवैध जन समूह आदेश का पालन नहीं करता प्रतीत होता है तो असैनिक अधिकारी केवल असैनिक बल प्रयोग कर सकता है, सैनिक बल नहीं। धारा १२९ के अधीन सैनिक बल का प्रयोग किया जा सकता है। धारा १३० के अधीन मजिस्ट्रेट को अपनी सहायता के लिये सेना को बुलाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में सेना के अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करना होता है। यदि वह आदेश का पालन नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रही है। सशस्त्र बलों को असैनिक अधिकारियों की मांग को पूरा करना होता है। इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई उपेक्षा नहीं बरती गई है। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

सात ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की सूचना मिली है। यदि माननीय सदस्य किन्हीं तथ्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वे एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स्वैल : चूंकि आपने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है, अतः क्या मंत्री महोदय शिलांग में शान्ति स्थापित करने के लिये राज्य सरकार पर जोर डालेंगे और राज्य सरकार तथा लोगों के बीच जो गलतफहमी पैदा हो गई है उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री नन्दा : इसके लिये राज्य सरकार ही उत्तरदायी है परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं उनकी सहायता करने के लिये तैयार हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सही नहीं है कि शिलांग में ऐसी घटनायें पहली बार ही हुई हैं ? क्या यह आरोप सही है कि इन घटनाओं के कारण खासी लोगों तथा राज्य के बीच एक प्रकार का युद्ध शुरू हो गया है ? क्या केन्द्रीय सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री नन्दा : ऐसी घटनायें वहां पहले नहीं हुई थी। यह बड़े दुःख की बात है। हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये इस पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार से बातचीत करके ही मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री वारियर (त्रिचूर) : शिलांग में अभी भी गोली चलाई जा रही है। सरकार की जानकारी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न नहीं है। इन्हें केवल ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में ही प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री नन्दा : मैंने राज्य सरकार से प्राप्त नवीनतम जानकारी दे दी है। राज्य सरकार को लोगों को ऐसा व्यवहार न करने के लिये कहना चाहिये और यदि वे ठीक रास्ते पर नहीं आते तो आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना चाहिये।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगी कि राज्य सरकार द्वारा ये कदम तुरन्त उठाये जायें और मामले को निपटा दिया जाये ?

श्री नन्दा : हम स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं और हर संभव सहायता देने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्या सरकार का विचार है कि इसके पीछे कोई अन्य शक्ति कार्य कर रही है ?

श्री नन्दा : हमारी जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता।

श्री स्वैल : क्या मंत्री महोदय शिलांग जाने का कष्ट करेंगे ?

श्री नन्दा : सरकार को अपना उत्तरदायित्व निभाना है चाहे स्वयं मंत्री के माध्यम से अथवा अन्यथा।

राष्ट्रपति के कृत्यों के निवहिक उप-राष्ट्रपति का संदेश

MESSAGE FROM VICE-PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति से दिनांक २० फरवरी, १९६४ का निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :—

> "मैंने १० फरवरी, १९६४ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष जो अभिभाषण दिया था उसके प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

भारतीय वायु सेना के एक विमान के लापता हो जाने के बारे में

RE : MISSING I.A.F. AIRCRAFT

श्री बड़े (खारगोन) : लापता विमान के बारे में मैं जानकारी चाहता हूं। ऐसा सुना गया है कि वह पाकिस्तान में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिरक्षा मंत्री को कहला भेजूंगा कि यदि उनके पास कोई नवीन जानकारी हो तो वे सभा को दे दें।

एक माननीय सदस्य : प्रतिरक्षा उपमंत्री यहां उपस्थित हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : अभी तक इसका पता नहीं चल सका है।

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

श्री अलवारेस (पंजिम) : यद्यपि समाज के एक बड़े भाग ने रेलवे आयव्ययक पर संतोष व्यक्त किया है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में रेलवे के कार्य में और अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं है। रेलवे द्वारा दिखाया गया लाभांश संतोषजनक नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में रेलवे की शुद्ध आय ७ करोड़ रुपये कम हो गई है। अतः जहां तक रेलवे की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है इसमें आत्मतुष्टि का कोई औचित्य नहीं है ।

रेलवे के परिवहन में जो अत्यधिक वृद्धि हो रही है वह हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास के कारण है। रेलवे को भविष्य के बारे में सोच विचार करके कोई उपाय करने चाहियें कभी ऐसा न हो कि आगे चल कर रेलवे को उस आय से हाथ ही न धोना पड़े जो कि उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे को ऊंचे भाड़े वाली वस्तुओं के परिवहन से होने वाली आय में भारी कमी हो गई है। अतः मेरा यह सुझाव है कि सरकार को स्वायत्त निगम के रूप में एक परिवहन आयोग स्थापित करना चाहिये ताकि वह रेलवे, सड़क परिवहन तथा जलमार्गों को देश के हित को दृष्टि में रखते हुए चला सके।

अध्यक्ष महोदय : वे अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार २१ फरवरी, १९६४/२ फाल्गुन १८८५ (शक) के ११ बजज तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 21st February, 1964/Phalguna 2, 1885 (Saka)

GMGIPND—LS III—2278 LS—18-5-64—600